सातवीं रिर्पोट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

को लागू करना

(01.01.2012 से 31.12.2012)

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा।

एस.सी.ओ नं0 70 – 71, 114 – 115, Website: www.cicharyana.gov.in

सैक्टर - 8 सी, चण्डीगढ - 160 009 e-mail: ussichry@yahoo.co.in

विषय सूची					
अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या			
1	अध्याय 1: प्रस्तावना	3 – 4			
2	अध्याय 2: हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन	5 – 9			
3	अध्याय 3: वेतन एंव भत्ते	10			
4	अध्याय 4: सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रशासन	11 – 14			
5	अध्याय 5: परीक्षण करना व विवरण देना	15 – 17			
6	अध्याय 6: शिकायतें एंव अपीलों की स्थिति	18 – 20			
7	अध्याय 7: अधिनियम के बारे में जानकारी का सृजन	21-22			
8	अध्याय 8: सुधार के लिये सिफारिशें	23 – 24			
अनुबन्ध के	सूचना का अधिकार नियम, 2009	25 – 34			
अनुबन्ध रव '	लोक प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना	35-44			
अनुबन्ध गे	प्रमुख लोक प्राधिकरण जिनसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई	45 – 49			
अनुबन्ध'घ'	दंड का ब्यौरा जो राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर लगाया गया	50 – 60			
अनुबन्ध 'ड़ '	सूची जिन मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई	61 – 63			
अनुबन्ध'च'	अपीलकर्ता /शिकायतकर्ता को मुआवजा दिये जाने का ब्यौरा	64 – 93			

<u> अध्याय – 1</u>

प्रस्तावना

" प्रत्येक जन प्राधिकारी के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोन्नत करने के लिये जन प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन नागरिकों को सूचना की पंहुच निश्चित करने हेतु सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन प्रणाली की स्थापना करने के लिये एक अधिनियम।"

(प्रस्तावनाः सूचनाधिकार अधिनियम, 2005)

- 1.1 आर.टी.आई एक्ट एक सार्वजनिक सरकार के लिये लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। प्रजातन्त्र को एक सूचेत नागरिकता और कार्यों में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। यह भ्रष्टाचार को रोकने और सरकार तथा उसके उपकरणों को जनता के प्रति उत्तरदायी रखने के लिये उपयोगी है। ऐसे उद्देश्यों के साथ सूचनाधिकार अधिनियम को 15 जून, 2005 को पारित किया गया था।
- 1.2 सूचना का संबंध मात्र सरकार से ही नहीं होता इसका संबंध प्रत्येक से होता है और सरकार द्वारा एकत्रित की गई कोई भी सूचना जनता के लाभ के लिये होती है। यह अधिनियम "पारदर्शिता को एक मापदंड और गोपनियता को एक अपवाद के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिये अस्तित्व में आया है।"
- 1.3 इस तरह सूचनाधिकार अधिनियम ने सरकार पर सूचना को इक्कठी और संगठित करने के लिये सरकार पर इस तरीके से जिम्मेदारी डाली है जो सूचना के लिये सभी विनम्र अनुरोधों का तत्परता से जवाब देते हुये, इसकी पहुंच जनता के लिये आसान बनाती है। व्यवस्था जिसे लागू किया गया था उसने सूचना तक पहुंच उपलब्ध करवाई है और यह एक्ट सरकार द्वारा गरीबी निवारण और भ्रष्टाचार उन्मूलन के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उठाया गया एक सकरात्मक पग है।
- 1.4 आर्थिक एंव सामाजिक लक्ष्यों एंव गरीबी उन्मूलन और भ्रष्टाचार में कमी के लिये सरकार द्वारा जो प्रणाली अपनाई गई है वह जानकारी तक पहुंच के लिये एक सकारात्मक कदम है।
- 1.5 जनप्राधिकारियों ने अधिनियम के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझने के बाद वांछित सूचना उपलब्ध करवाते हुये लोगों की आवश्यकताओं पर खरे उत्तरते हुये बड़ी सकरात्मकता से जवाब दे रहे है।

- 1.6 फिर आगे, अधिनियम के सैक्सन 25(1) के तहत आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया जाता है। इसके अनुसरण में, वर्ष 2012(01.01.2012 से 31.12.2012) के दौरान, आयोग अधिनियम के कियान्वयन की स्थिति का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है।
- 1.7 इस रिपोर्ट में अधिनियम के सैक्सन 25(2) और 25(3) के तहत उन पर डाली गई जिम्मेदारी के अनुसार राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त तथ्य एंव आंकड़ों का विश्लेषण समाहित होता है।
- 1.8 रिपोर्ट में यह शामिल किया जाता है:
 - (i) सूचना के लिये विभागों द्वारा प्राप्त की गई और निपटाई गई निवेदनों की संख्या।
 - (ii) अधिनियम के सैक्सन 8 और 9 के तहत अस्वीकार की गई निवेदन।
 - (iii) आयोग द्वारा प्राप्त की गई और निपटाई गई अपीलों की संख्या।
 - (iv) आवेदन की फीस के रूप में एकत्रित की गई राशि और फिर आगे राज्य जन सूचना अधिकारियों द्वारा एकत्रित की गई फीस।
 - (v) एस.पी.आई.ओ पर लगाई गई दण्ड और प्रतिपूरक के रूप में दी गई राशि।
 - $({
 m vi})$ विभागों द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण।
- 1.9 वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2011 और 2012 तथा 2012 2013 के दौरान राज्य सूचना आयोग के संबंधित गतिविधियों और घटनाओं तथा इसके बजट का विस्तृत वर्णन भी प्रस्तुत करती है।

<u>अध्याय – 2</u> राज्य सूचना आयोग, हरियाणा का गठन

2.1 राज्य सूचना आयोग, हरियाणा केन्द्रीय आर.टी.आई - एक्ट, 2005 के तहत 31 अक्तूबर, 2005 को निहित अर्धन्यायीक अपनी शक्तियों के साथ प्रतिस्थापित किया गया, एक सवैधानिक प्राधिकरण है। आयोग के कर्तव्य एंव कार्य सूचना निवेदनों की पहुंच के लिये शिकायतों / अपीलों की कुशल एंव न्यायसंगत जांच प्रक्रिया को संचालित करना है। आयोग प्रत्येक जन प्राधिकरण के कार्य करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढाने के लिये सरकारी क्षेत्र की सूचना को सार्वजनिक करने हेतु अधिनियम की अधिक से अधिक परिपालना के लिये भरसक प्रयास करता है। सैक्सन 15 के सब - सैक्सन 3 के तहत निहित शिक्तयों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार ने निम्निलिखित राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों को कार्यालय का कार्यभार संभालने के विवरण सिवत नियुक्त किया है: -

नाम	नियुक्ति	पदभार संभालने की तिथि
श्री जी.माधवन, आईएएस	मुख्य सूचना आयुक्त	01.11.2005
(से0नि0)		
श्रीमती मीनाक्षी आनन्द	राज्य सूचना आयुक्त	09.05.2006
चौधरी, आईएएस (से0नि0)		
श्रीमती आशा शर्मा, आई.ए.	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
एस. (से0नि0)		
स्व0 जन0 जे.बी.एस. यादव	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्री अशोक महता	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्री एम.आर.रंगा	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्री प्रेम वीर सिंह	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्रीमती मीनाक्षी आनन्द	मुख्य सूचना आयुक्त	29.10.2010
चौधरी, आईएएस (से0नि0)		
श्री नरेश गुलाटी, आईएएस	मुख्य सूचना आयुक्त	20.05.2011
(से0नि0)		
श्रीमती उर्वशी गुलाटी, आई.	राज्य सूचना आयुक्त	3 0.03 .2012
ए.एस. (से0नि0)		
मेजर जन0 (से0नि0)	राज्य सूचना आयुक्त	03.09.2012

जगबीर सिंह कुण्डू		
श्री सज्जन सिंह, आईएएस	राज्य सूचना आयुक्त	03.09.2012
(से0नि0)	-	
श्री प्रहलाद राय मीणा,	राज्य सूचना आयुक्त	03.09.2012
आईएएस (से0नि0)		

2.2 रिपोर्टाधीन अविध के दौरान निम्निलिखित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद सेवा – निवृत हो गये।

नाम	पद	सेवा-निवृति की तिथि
श्रीमती आशा शर्मा, आईएस	राज्य सूचना आयुक्त	17.02.2012
(से0नि0)		

2.3 राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय एस सी ओ नं० 70-71 और 114-115, मध्य मार्ग, सैक्टर -8 सी, चंडीगढ़ में स्थित है।

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा को बजट का आवंटन

2.4 राज्य सरकार ने वर्ष 2005 से 2012 – 2013 तक राज्य सूचना आयोग, हरियाणा के अस्तित्व में आने से ही लेखा शीर्ष $^{\prime\prime}$ 2070 – अन्य प्रशासनात्मक सेवाएं – नान प्लान $^{\prime\prime}$ के तहत निम्नितिखत बजट आवंटन किया है: –

वर्ष	आवंटित राशि (रूपये लाखों में)			
	मौलिक	अन्तिम		
2005 - 2006	3 0.00	26.79		
2006 - 2007	140.04	126.00		
2007 - 2008	167.94	13 5.05		
2008 - 2009	244.27	212.02		
2009 - 2010	265.62	233.04		
2010 - 2011	269.3 4	223.74		
2011 - 2012	257.97	23 7.3 8		
2013 - 2013	266.75	282.45		

2.5 विभिन्न उप-शिर्षों के अधीन वर्ष 2011-2012 ओर 2012-2013 की धन-राशि का बंटवारे का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(रूपये लाख में)

	T	_	(स्तान सार्व ग)
कम संख्या	मद	2011 – 2012 (अंतिम)	2012 – 2013 (अंतिम)
1	वेतन	81.51	95.89
2	महंगाई भत्ता	45.08	69.05
3	यात्र खर्च	1.74	3.48
4	कार्यालय खर्च	3 0.84	3 2.00
5	मोटर – गाडी	13.01	2.26
6	पैट्रोल (पी ओ एल)	5.91	10.99
7	चिकित्सा खर्च	1.3 1	1.01
8	व्यवसायीक एंव विशिष्ट	13.70	16.99
	सेवाएं		
9	अनुबन्ध सेवाएं	29.75	3 9.88
10	एल.टी.सी	7.45	1.86
11	सूचना प्रौद्यौगिकी	7.08	9.4
	कुल जोड.	23 7.3 8	282.45

2.6 राज्य सरकार ने आयोग के लिये संशोधन से पूर्व और संशोधन पर वेतनमानों में निम्नलिखित प्रकार से स्टाफ स्वीकृत किया: —

कम	नाम और पदों की	स्वीकृत किय	ा गया वेतनमान
संख्या	संख्या	संशोधन से पूर्व	संशोधित
1	एक मुख्य सूचना आयुक्त	30,000 / - रू0 निश्चित	90,000 / - रू० निश्चित
2	सात राज्य सूचना आयुक्त	26,000 / - रू० निश्चित	80,000 / - रू० निश्चित
3	एक सचिव (संयुक्त सचिव के स्तर से)	15100 - 400 - 183 00	37400 - 67000 + 8000 ग्रेड पे
4	एक सी.आई.सी का वरिष्ठ सचिव	12000 - 3 75 - 16500 + 400 विशेष वेतन	15600 - 3 9100 + 7600 ग्रेड पे
5	एक अवर सचिव	10000 - 3 25 - 13 900 + 400 विशेष वेतन	15600 - 3 9100 + 6000 ग्रेड पे
6	सात एस.आई.सी के निजी सचिव	8000 – 275 – 10200 – ई ਕੀ – 275 – 13 500	93 00 - 3 4800 + 5400 ग्रेड पे
7	लेखा अधिकारी	6500 - 200 - 8500 ई बी - 200 - 10500	93 00 - 3 4800 - 5400 ग्रेड पे
8	विधि सलाहकार	जैसा कि आयोग द्वारा निश्चित संचित।	जैसा कि आयोग द्वारा निश्चित संचित।
9	एक अनुसंधान अधिकारी – कम – सलाहकार	7450 - 225 - 9025 - ई बी - 225 - 11500	9300-34800 + 4600 ग्रेड पे
10	एक अधीक्षक	6500 - 200 - 8500 - ई बी - 200 - 10500 - 200 विशेष वेतन	9300-34800 + 4200 ग्रेड पे +200 विशेष वेतन
11	नौ निजी सहायक	6500 – 200 – 8500 ई ਕੀ – 200 – 10500	93 00 - 3 4800 +4200 ग्रेड पे
12	दो सहायक	5500 - 175 - 83 00 - ई बी - 175 - 9000	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
13	एक लेखा सहायक	5500 - 175 - 83 00 - ई बी - 175 - 9000	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
14	आठ रीडर्ज	5500 - 175 - 83 00 - ई बी - 175 - 9000	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे

15	एक कनिष्ठ स्तर	4000 - 100 - 4800 - ई	5200 - 20200 + 2400
	स्टैनोग्राफर	ਕੀ – 100 – 6000 +40	ग्रेड पे
		विशेष वेतन	
16	आठ स्टैनों टाईपिस्ट	3 050 - 75 - 3 950 - ई	5200 - 20200 + 1900
		ਕੀ – 80 – 4590 +100	ग्रेड पे + 100 विशेष वेतन
		विशेष वेतन	
17	बारह	3 050 - 75 - 3 950 - ई	5200-20200 ग्रेड पे+ 40
	लिपिक - कम - कम्प्यूटर	ਕੀ – 80 – 4590 – 40	विशेष वेतन
	आप्रेटरज	विशेष वेतन	
18	ग्यारह चालक	4000 - 100 - 4800 - ई	5200 - 20200 + 2400
		बी- 100-6000+ 300	ग्रेड पे + 300 विशेष वेतन
		विशेष वेतन	
19	23 सेवादार	2550 - 55 - 2660 - ई	4440-7440 + 1300 ग्रेड
		बी - 60 - 3200 + 30	पे+ 30 विशेष वेतन
		विशेष वेतन	

2.7 जैसा कि 31 दिसम्बर, 2012 को विधि सलाहकार के सिवाय आयोग में सभी पद भरे हुये थे। श्री भूपेन्द्र सिंह, एच सी एस ने दिनांक 18.09.2012 के प्रभाव से आयोग के सिचव के रूप में अपनी उपस्थिति दी। नीति के अनुरूप, हरियाणा सिविल सिचवालय और राज्य सरकार के अन्य विभागों से लिया गया। जब हरियाणा सिविल सिचवालय या अन्य सरकार के विभागों से कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाये गये, नियुक्तियां अनुबंध आधार पर या पहचान की गई बाह्य-संसाधन ऐजंसी के माध्यम से की गई।

अधयाय – 3

वेतन एवं भत्ते

- 3.1 आर.टी.आई एक्ट के सैक्सन 16 के सब सैक्सन 5 के तहत देय वेतन एंव भत्ते तथा अन्य सेवा की शर्ते एंव वयवस्थाएं: –
 - क. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वही जो चुनाव आयुक्त के हैं;
 - ख. राज्य सूचना आयुक्त के वही जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव के हैं;

बशर्ते के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, अपंग या घायल की पेंशन को छोड़कर, भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी भी पूर्व सेवा के बारे में पेंशन की प्राप्ति कर रहे हो तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त की सेवा के बारे में उसका वेतन, उस पेंशन की राशि जिसमें कोई भी पेंशन का अंश तो 'क्म्यूट' कर दिया गया और अन्य किसी प्रकार के सेवा – निवृत्ति के लाभों समेत लेकिन सेवा – निवृत्ति की अनुदान (ग्रेच्यूटी) पेंशन की राशि उसके कुल वेतन में से घटा दी जायेगी।

3.2 राज्य सूचना आयोग, हिरयाणा के अन्य कर्मचािरयों के देय वेतन और भत्ते अन्य राज्य सरकार के अन्य कर्मचािरयों के समान होगें। अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किये गये कािर्मिक या बाह्य – संसाधन के माध्यम से नियुक्त कािर्मिक अनुबन्ध दरों पर अदायगी के लिये पात्र होंगे लेकिन ये दरें किसी भी तरह न्युनतम वेतनों से कम नहीं होंगी।

अधयाय - 4

सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रशासन

4.1 जन प्राधिकारी के रूप में एस.आई.सी द्वारा सैक्सन 4 का कार्यान्वयन: -

सुचनाधिकार अधिनियम, 2005 का सैक्सन 4 के तहत प्रत्येक जन प्राधिकारी को पूर्व - सिक्केय सूचना के प्रकटीकरण के लिये आदेशित करता है। सूचना जिसे इस सैक्सन के तहत सार्वजनिक करने की आवश्यकता है उसमें संगठन का विवरण, कार्यो और उत्तरदायित्वों, नियमों, व्यवस्थाओं निर्देशों, मैन्अल्ज एंव रिकार्ड जिनका कार्यो को निपटाने के लिये अनुसरण किया जाता है इनके समेत अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जा रहे पारिश्रमिक के साथ उनकी निर्देशिका, किये गये खर्च का विस्तृत वर्णन, चलाई जा रही स्कीमें / कार्यक्रमों इनके लाभार्थियों और उपलब्ध करवाई जा रही स्विधाओं आदि सहित वार्षिक बजट का विस्तृत वर्णन भी शामिल होता है। राज्य सहायक जन सूचना अधिकारियों /राज्य जन सूचना अधिकारियों /प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भी सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। यह एक कानुनी आवश्यकता है जिसे प्रत्येक जन प्राधिकारी पुरी करने के लिये प्रतिबद्ध है। फिर आगे, उपरोक्त सूचना को केवल एक बार ही प्रकाशित करना पर्याप्त नहीं है लेकिन प्रत्येक जन प्राधिकारी ऐसी सूचना को समय-2 के अन्तराल के बाद अध्यत्तन करने के लिये कर्तव्यबद्ध है। जहां तक सम्भव हो जैसे ही और जब भी कोई विकास या परिवर्तन होता है सूचना को त्रंत अध्यतन कर देना चाहिये। बिना प्राधिकारी के पास जाये ही नागरिकों को सूचना तक पहुंच की स्विधा देने के लिये सूचना को 'वेब साईट' पर डाला जा सकता है। आर.टी.आई – एक्ट, 2005 की आवश्यकता के अनुसार यह प्रयोग इसके प्रारम्भ से 120 दिनों के अर्न्तगत पूरा करना होता था लेकिन अभी बहुत से जन प्राधिकारियों ने प्रभावशाली कदम उठाने हैं जैसा कि एक्ट के सैक्सन 4 के तहत मनन-चिन्तन किया गया है।

4.2 रिकार्ड का रख – रखाव एंव तलाश: –

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 का सैक्सन 4(1), जन प्राधिकारियों द्वारा बाकायदा इस ढंग और तरीक से कैटालाग और इंडैक्स बनाने जो समुचित समय के अर्न्तगत रिकार्ड तक पहुंच को सुविधाजनक बनाता है, रिकार्डों के रख रचााव को बड़ा महत्व देता है। दस्तावेजों की प्रतियों के लिये मांग करने वाली निवेदनों निपटान के बहुत से केसों में यह अनुभव किया गया है कि राज्य जन सूचना अधिकारी निवेदन किये गये दस्तावेजों को तलाश करने में असफल हो गये और यह सब समुचित रिकार्ड रख रखाव व्यवस्था न होने की वजह से हुआ। रिकार्ड का रखना एक ऐसा क्षेत्र है जो अधिकतर सरकार और सरकारी उपकमों में उपेक्षित किया जाता है। सरकार इस क्षेत्र में एक विशेष अभियान चला सकती है ताकि जन प्राधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध रिकार्ड को समुचित ढंग से कैटालोग, इंडैक्स और एकत्रित किया जाये जो सूचना की आसान तलाश की सुविधा प्रदान करता है। अधिनियम रिकार्डों के कम्प्यूटराईजेशन और नेटवर्क के माध्यम से पहुंच पर भी बल देता है।

4.3 सूचना उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त स्टाफ व बजट की व्यवस्थाः

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005, नागिरकों के साथ सूचना सांझी करने के लिये एक व्यवहारिक प्रशासन का सफलतापूर्वक सृजन कर सकता है यदि जन प्राधिकारियों विशेषकर जिला एंव खंड स्तरों पर सूचना निस्पादन का एक प्रभावशाली तंत्र है। जिला या खंड स्तर पर कुछ जन प्राधिकारियों के पास जनता को सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मूलभूत

संरचना जैसे कि फोटो कापियर्ज, कम्प्यूटरज आदि नहीं होते। चूंकि आकस्मिक निधि में मात्र सीमित राशि होती है इसलिये बाजार से फोटो प्रतियां प्राप्त करने का विकल्प भी सम्भव नहीं है। संरचना की कमी से कभी – 2 हस्तिलिखित अस्पष्ट सूचना ही सूचना मांगने वालों को उपलब्ध करवाई जाती है। इस तरह की किठनाइयों के प्रति पारस्परिक मेल – जोलों में निरन्तर रूप से आवाज उठाई गई थी जो आयोग ने जनता के सदस्यों, राज्य जन सूचना अधिकारियों और अन्य दावेदारों के साथ आयोजित किये थे, इसके अतिरिक्त से आवाजें आयोग के सामने सार्वजनिक सुनवाईयों के समय भी उठाई जा रही है। इसलिये, राज्य सरकार आरटी.आई से संबंधित मुद्दों के कियान्वयन के लिये अपने बजटों की निश्चित प्रतिशतता अिकंत कर सकती है। पदासीन अधिकारियों के कार्यालय में लेखन सामग्री, कार्यालय उपकरण जैसे फोटोकापियर्ज, कम्प्यूटरज आदि खरीदने के लिये पर्याप्त प्रावधान बनाये जायें।

4.4 आर.टी.आई – एक्ट के तहत कीमत और फीस के नियम:

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 का सैक्सन 27 और सैक्सन 6(1), 7(1) और 7(5) के साथ पठित एक्ट का यह सैक्सन आवेदन के प्रस्तुतीकरण की फीस और सूचना उपलब्ध करवाने के लिये कीमत निर्धारण की व्यवस्था करता है। तदानुसार, हिरयाणा सरकार ने हिरयाणा सूचना का अधिकार नियम, 2005 को दिनांक 28 अक्तूबर, 2005 को अधिसूचित कर दिया था जिनमें आवेदन फीस 50 रूपये और अतिरिक्त फीस 10 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से निर्धारित की गई। हिरयाणा सरकार ने मामले के पुनिवचार के बाद और हिरयाणा सूचना का अधिकार नियम, 2005 को रद्द करते हुये दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 को हिरयाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 को

अधिसूचित कर दिया लिनमें एक्ट के सैक्सन 7 के सब – सैक्सन 5 के तहत वसूल की जाने वाली अतिरिक्त फीस 10 रूपये से घटा कर 2 रूपये प्रति पृष्ठ कर दी गई। 21 दिसम्बर, 2009 को अधिसूचित नियमों की प्रति अनुबन्ध क' पर संलग्न की गई है।

4.5 अपील पद्धति: –

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के सैक्सन 27 तथा सैक्सन 19 के सब सैक्सन 10 के साथ पठित के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2005 को पूर्वोत्तर अधिसूचित नियमों को रद्द करते हुये और दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 को हिरयाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 को अधिसूचित करते हुये अपीलों को दायर करने की पद्धति, अपील का निर्णय करने की प्रणाली, नोटिस जारी करने के ढंग, आयोग के सामने अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता की पेशी आदि की प्रतिस्थापना की।

अधयाय - 5

परीक्षण करना व विवरण देना

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 का सैक्सन 25 व्यवस्था करता है कि राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अन्त में इस अधिनियम के प्रावधानों के वर्षभर के लिये कार्यान्वयन पर एक रिर्पोट तैयार करेगा और इसकी एक प्रति संबंधित सरकार को भेजेगा। तद्परांत इस रिर्पोट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखने की आवश्यकता होती है। अधिनियम का सैक्सन 25(2) आगे फिर आदेशित करता है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक उपक्रम अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत जन प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और राज्य सूचना आयोग को उपलब्धा करवायेगा जिसकी आयोग द्वारा रिर्पोट तैयार करने के लिये जरूरत होती है। जब जन प्राधिकारियों से कोई रिर्पोट प्राप्त नहीं हुई तो आयोग ने पत्र दिनांक 28.10.2013 के द्वारा प्रशासनिक सिंचवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, राज्य के जिलों के उपायुक्तों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रंबंधक निदेशकों, रजिस्ट्रार, पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय और सचिव हरियाणा विधानसभा को दिनांक 01.01.2012 से 3 1.12.2012 तक वार्षिक रिर्पोट तैयार करने के लिये पदासीन राज्य जन सूचना अधिकारियों से वांछित विवरण को एकत्रित करने और इसे आयोग को उपलब्ध करवाने के लिये निर्देशित किया। प्रशासनात्मक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डो, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों के आयुक्तों और उपायुक्तों के बारे में अलग से वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित आयोग द्वारा विभिन्न जन प्राधिकारियों से प्राप्त किये गये तथ्यों एंव आकंडों के आधार पर अधिनियम के प्रशासन का एकत्रित किये गये तथ्यों एंव आंकड़ों का विश्लेषण अनुबन्ध 'ख' पर संलग्न किया गया है। मुख्य विभागों और जन प्राधिकारियों जिन्होनें आयोग के सम्प्रेषण दिनांक 28. 10.2013 का जवाब नहीं दिया उनकी, एक सूची अनुबंध 'ग' पर रखी हुई है।

5.2 दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान उपलब्ध सूचना के अनुसार रिर्पोटाधीन जन प्राधिकारियों द्वारा कुल 36742 आवेदन प्राप्त हुये थे। आर.टी.आई-एक्ट, 2005 के सैक्सन कमश : 8 और 9 के तहत छूट देने वाले प्रावधानों की कारण 167 और 92 केसों में सूचना तक पंहुच पर रोक लगा दी गई थी। इस तरह कुल केसों के 0.704 प्रतिशतता के बारे में सूचना तक पंहुच से इनकार कर दिया गया था। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निर्धारित आवेदन फीस और अतिरिक्त फीस के रूप में प्राप्त कुल 15,30,929 रूपये की राशि जमा करवाई गई।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जन प्राधिकारियों ने आर.टी.आई – अपीलकर्ताओं को अधिकतर केसों में अधिकतम सूचना उपलब्ध करवा दी है।

- 5.3 अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार के लिये जन प्राधिकारियों से प्राप्त सुझाव: —
 आर.टी.आई एक्ट, 2005 को लागू करने में सुधार लाने के लिये, इस अधिनियम के सैक्सन
 25(2) के तहत मांगी गई रिर्पोट को प्रस्तुत करते समय विभिन्न जन प्राधिकारियों से कुछ
 सुझाव प्राप्त किये गये है। ये निम्न प्रकार से है:
 - (क) पदासीन राज्य सूचना अधिकारी एंव विरिष्ठ स्तर का अधिकारी होना चाहिये जो सूचना देने में देरी करने के लिये गलती करने वाले अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई कर सके।
 - (ख) व्यर्थ की सूचना मांगने वालों को हतोत्साहित करने के लिये अतिरिक्त फीस बढ़ा देनी चाहिये।

- (ग) बहुसंख्यक, व्यर्थ और लम्बी चौड़ी शिकायतें जो अपीलकर्ताओं से प्राप्त होती हैं उनसे स्टाफ का ध्यान भंग होता है और संसाधनों का भी ह्यस होता है जब ऐसी सूचनाएं, जिनसे कोई जनहित पोषित नहीं होता, एकत्रित की जाती है।
- (घ) व्यर्थ की बेहुदा आवेदनों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल वास्तविक सूचना मांगने वालों को ही आर.टी.आई एक्ट का प्रयोग करने के लिये यह सुझाव दिया जाता है कि एक आर.टी.आई आवेदन में केवल एक ही सूचना लेने की स्वीकृति देनी चाहिये।
- (ड़) बी पी एल अपीलकर्ता वह सूचना मांग रहे हैं जिसका उनसे संबंध नहीं होता। साधारण तथा बी पी एल अपीलकर्ता जन प्राधिकारी की समरूप कार्य प्रणाली पर सूचना मांग रहे हैं जो स्पष्ट रूप से आर.टी.आई एक्ट का दुरूपयोग है। ऐसे केसों में अधिनियम का कुछ यंत्र तंत्र होना चाहिये तािक बी पी एल के व्यक्ति वास्तव में अपने ही उद्देश्यों से लाभान्वित हो सकें। पांच वर्ष से अधिक पुरानी सूचना के बारे में 30 दिनों की समय सीमा बढ़ा देनी चाहिये।
- (च) जन राज्य सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को समय 2 पर प्रशिक्षण देकर तरोताजा व नवीकृत करते रहना चाहिये।
- (छ) जन प्राधिकारी पर दंड इस शर्त पर लगा देना चाहिये की इसे सूचना देने में देरी करने में गलती करने वाले कर्मचारी से वसूल किया जाये।
- (ज) तृतीय पार्टी की सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहिये।

अध्याय - छः

शिकायतों एवं अपीलों की स्थिति

6.1 राज्य सूचना आयोग के पास सैक्सन 18 (2) के तहत शिकायतों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने का मौलिक क्षेत्राधिकार है और सैक्सन 19(3) के तहत जन प्राधिकारियों के फैसलों के विरूद्ध अपीलों को प्राप्त करने का द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अविध के दौरान शिकायतों और अपीलों को दर्ज करने में लिये गये फैसले और अन्य मुद्दे जो दिनांक 31.12.2012 को लिम्बत पड़े हुये थे, यह सब नीचे दिया गया है: –

(।) शिकायत केसों का विवरण: -

दिनांक	3 1.	रिपोर्टाधीन समय	के दौरान	अवधि के	दिनांक 3 1.12.2012
12.2011	को	दायर की गई शिक	ायतें	दौरान किये गये	को लम्बित केस
लम्बित केस		1.1.2012 से	कुल जोड़	फैसले	
		3 1.12.2012 तक			
193		263	456	3 3 5	121

(॥) अपील केसों का विवरण:-

दिनांक	रिपोर्टाधीन समय व	े दौरान दायर	अवधि के	दिनांक 3 1.12.2012
3 1.12.2011	की गई शिकायतें		अर्न्तगत किये	को लम्बित केस
	1.1.2012 से	कुल जोड़	गये फैसले	
केस	3 1.12.2012 तक			
1879	43 01	6180	3 781	23 99

- 6.2 इस दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अविध के दौरान आयोग ने निवेदन को शिकायत या अपील के रूप में स्वीकार करने से पूर्व जैसा कि आर.टी.आई एक्ट, 2005 और नियमों द्वारा आदेशित किया गया है औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये अग्रिम आवश्यक कारवाई करने की समुचित सलाह देते हुये 1140 फुटकर आवेदनों का फैसला किया।
- 6.3 राज्य सूचना आयोग, हरियाणा, दोनों पार्टियों को बुलाने के बाद और शिकायतकर्ताओं / अपीलकर्ताओं दोनों और राज्य जन सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और तृतीय पार्टियों को भी व्यक्तिगत सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने की प्रकिया का अनुसरण करते हुये, सभी शिकायतों और अपीलों का फेसला करता आ रहा है।

6.4 एक्ट के सैक्सन 20 के तहत की गई कार्रवाई: -

आयोग ने दिनांक 01.01.2012 और 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान राज्य जन सूचना अधिकारियों और डीमडं राज्य जन सूचना अधिकारियों को आर.टी.आई – एक्ट, 2005 के सैक्सन 20(1) के तहत कानूनीरूप से दण्ड लगाने के लिये 882 कारण बताओ नोटिस जारी किये। कमशः 79 राज्य जन सूचना अधिकारियों डीमड राज्य जन सूचना अधिकारियों जो निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्पूर्ण सूचना देने में असफल रहे थे और देरी बिना किसी समुचित कारण के पाई गई थी उन पर कानूनी रूप से दंड लगाया गया। दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की रिपोर्ट की अवधि के दौरान इन केसों का विवरण, दण्ड के कारण लगाई गई राशि के विवरण के साथ अनुबंध 'घ' पर रखा हुआ है। दोषी अधिकारियों कर्मचारियों, डीमड राज्य जन सूचना अधिकारी समेत जो राज्य जन सूचना अधिकारियों कर्मचारियों, डीमड राज्य जन सूचना अधिकारी समेत जो राज्य जन सूचना अधिकारी को समय पर और सम्पूर्ण सूचना दने में असफल रहे थे उनके विरूद्ध एक्ट के सैक्सन 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई थी। दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान, 14 केसों में गलती करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई, इस तरह के कसों का विवरण अनुबंध 'ड' पर रखा है।

6.5 सैक्सन 19(8) (बी) के तहत मुआवजा: -

आयोग एक्ट के सैक्सन 19(8) (बी) द्वारा आयोग को शिकायतकर्ताओं / अपीलकर्ताओं को उन द्वारा उठाये गये किसी नुकसान या हानि के लिये जन प्राधिकारियों को उन्हें मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता से संबंधित शक्तियां प्रदान की गई है। इन केसों का विवरण, जिनमें रिर्पोट की अविध दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक के दौरान मुआवजा प्रदान किया गया था, अनुबंध 'च' पर रखा है। इस अविध के दौरान, 264 केसों में अपीलकर्ताओं / शिकायत कर्ताओं को मुआवजा दिया गया है। यहां इसका जिक करना संगत है कि कुछ जन प्राधिकारियों ने उसी को संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी या देरी के लिये पाये गये जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल करने का फैसला किया है।

6.6 न्यायालय के केस: –

कुछ केसों में पीड़ित पार्टियों ने आयोग के निर्णयों के विरूद्ध पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ में याचिका(रिटट) दायर करने को प्राथमिकता दी है। सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आयोग ने अपनी विधिक क्षमता में ऐसी याचिकाओं (रिट्टस) में बचाव न करने का फैसला किया है। ऐसे हालातों में रिजस्ट्रार (रिट्टस) और रिजस्ट्रार (न्यायीक), महाअधिवक्ता, हरियाणा समेत को भी एक पत्र भेजा जा रहा है।

6.7 आयोग की वैबसाईट एंव ई - मेल पता : -

आयोग की वैबसाईट <u>www.cicharyana.gov.in</u> "इस समय गतिशील है। शिकायतों और अपीलों के कसों पर पारित किये गये आदेशों और केसों की सूची वैबसाईट पर डाली जा रही है। आयोग का ξ – मेल पता <u>ussichry@yahoo.co.in</u> है।

6.8 आई.टी साधनों के लिये केन्द्रीय सहायता: -

भारत सरकार के कार्मिक, जन शिकायतें एंव पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के तहत सूचनाधिकार अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये वर्ष 2012 में आई.टी साधनों के अन्तर्गत क्षमता निर्माण एंव जागरूकता सृजन के लिये 9,68,540 / – रू० की द्वितीय किश्त जारी की। इस स्कीम का उद्देश्य कम्पयुटरज और इससे जुड़े यंत्र, वर्तमान वैबसाइट का दर्जा बढ़ाना, फाईल ट्रेकिंग प्रणाली, एस०एम०एस० के माध्यम से आवेदन की स्थिति, रिकार्ड का डिजिटाईजेशन तथा विडियो कान्फैनसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना है।

6.9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को पारगंत और जवाबदेह बनाने के लिये प्रभावी कियान्वयन: —

भारत सरकार के कार्मिक, जन शिकायतें एंव पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने वर्ष 2012 में आर.टी.आई के लिये जागरूकता लाने हेतु कर्मशालाओं, समेलनो और प्रतियोगिता आदि के आयोजन हेतु 2,87,449 / – रू० की राशि जारी की। यह राशि 50 कॉलेजो में लेखना प्रतियोगिता और नागरिकों / एस.पी.आई.ओज / प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिये 4 कार्यशालाओं के लिये रिलिज की गई। राज्य सरकार ने (हरियाणा के लोक प्रशासन संस्थान) गुड़गांव को कार्यशालाएं आयोजित करने और निदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा लेखन प्रतियोगिता के लिये नोडल एजेन्सी अधिकृत किया।

अध्याय ७

अधिनियम के बारे में जागृति का सृजनः

- 7.1 सूचना अधिकार अधिनियम का सैक्सन 26 राज्य सरकार को शैक्षणिक कार्यक्रमों को विकसित एंव आयोजित करते हुये जनता की समझ को प्रगतिशील बनाने, विशेषकर पिछड़े वर्गों के वचिंत लोगों में इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों को कैसे प्रयोग करने की बाबत जनता में जागृति लाने के लिये निर्देशित करता है। अधिनियम के सैक्सन 26 का उप सैक्सन 1(डी) सरकार पर जन प्राधिकारियों के राज्य जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और जन प्राधिकारियों के प्रयोग के लिये प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री जुटाने की जिम्मेदारी डालता है। आयोग ने अपनी पूर्वोत्तर रिपोर्टों में एक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू करने को सुनिश्चित करवाने के लिये जनता के प्रशिक्षण और जानकारी हेतु एक कार्यक्रम को शुरू करने का सुझाव दिया है। सरकार का जवाब निम्न प्रकार से है: -
 - (क) ए.एस.पी.आई.ओस/एस.पी.आई.ओस/एफ.ए.एस के लिये प्रशिक्षण कार्यकम :—
 राज्य सरकार ने इस बारे में हिरयाणा लोक प्रशासन संस्थान, हिरयाणा, (हिप्पा)
 गुड़गांव को नोडल एजेंसी के रूप में पदासीन किया है। हिपा द्वारा पदासीन
 अधिकारियों जिसमें ए.एस.पी.आई.ओस/एस.पी.आई.ओस और एफ.ए.ए शामिल किये
 जाते हैं को नियमित अन्तरालों के बाद 'हिपा' और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों जैसे
 विद्युत जन उपयोगी सेवाओं के लिये एच वी पी एन एल तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान
 और ग्रामीण संस्थान, नीलोखंड़ी द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आर.टी.आई एक्ट
 की विभिन्न जन प्राधिकारियों को भी अति संवेदनशील करने और आर.टी.आई से
 सम्बन्धित मामलों पर कारवाई करने के लिये उन्हें सचेत करने हेतु भी प्रशिक्षण
 दिया जा रहा है।
 - (ख) निर्देशिका और प्रयोग करने के लिये एक मार्गदर्शिका का प्रकाशन : − आयोग ने अपनी प्रथम और द्वितीय रिपोर्ट में सिफारिश की कि एक्ट के तहत सूचना तक पहुंच के उनके अधिकार में नागरिकों की सहायता करने के लिये सरकारी भाषा में एक मार्गदर्शिकाा संकलित करके तैयार करनी चाहिये। पदासीन एस.पी.आई. ओस ∕ एस.पी.आई.ओस और एफ.ए.ए की एक निर्देशिका तैयार करने की सिफारिश

की गई। अब वर्ष 2008 में राज्य सरकार की सिफारिशें पर 'हिपा', गुड़गांव द्वारा राज्य नागरिकों के प्रयोग करने के लिये पदासीन अधिकारियों की एक निर्देशिका के साथ – 2 प्रयोग करने वालों के लिये आर.टी.आई – एक्ट पर एक ''यूजर मार्गदर्शिका'' और एक्ट पर अलग से एक 'रैडी – रैक्नर'' भी अंग्रजी और हिन्दी में प्रकाशित किये गये हैं।

अध्याय - 8

सुधार के लिए सिफारिशें

सूचनाधिकार अधिनियम, राज्य सूचना आयोग और जन प्राधिकारियों दोनों पर ही इस अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये सुझाव देने की जिम्मेदारी डालता है। आयोग के सुधारों के लिये राज्य सरकार और जन प्राधिकारियों को सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं:-

- (क) प्रथम अपीलों का निपटाराः अधिनियम के सैक्सन 19 का सब सैक्सन 1 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास ले जाने के लिये प्रावधान उपलब्ध करवाता है, जब जन प्राधिकारी के राज्य जन सूचना से अपीलकर्ता सन्तुष्ट नहीं है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को वायर करने की तिथि से 30 दिनों के या ऐसे बढ़ाये हुये समय जो 45 दिनों से अधिक न हो के अर्न्तगत अपील को निपटाना होता है। बहुत से केसों में आयोग ने अनुभव किया है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील पर देरी से कार्रवाई करते हैं या इसका बिल्कुल ही निपटारा नहीं करते। यह अनावश्यकरूप से ही सूचना की देरी से प्राप्ति का परिणाम देते हैं या इस तरह की स्थिति मामले को आयोग के पास द्वितीय अपील में ले जाने के लिये बाध्य करते हैं। इससे देरी, अतिरिक्त ,खर्च और टाली जा सकने वाली मानसिक पीड़ा पैदा होती है। इसलिये, आयोग संबंधित अधिकारियों को उनके कार्य निष्पादन के दृष्टिकोण में सुधार लाने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने की सिफारिश करता है।
- (ख) राज्य जन सूचना अधिकारियों को भी नागरिकों की आवश्यकतओं के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रशिक्षण की जरूरत होती है।
- (ग) यद्यपि सैक्सन 4(1) के तहत पूर्व में ही स्वयमेव ही सूचना का प्रकटीकरण कानूनी रूप से आवश्यक था, लेकिन यह नोट किया गया कि बहुत से जन प्राधिकारियों द्वारा पूर्व में ही स्वयमेव प्रकटीकरण सन्तोषजनक ढंग से नहीं किया गया। जन प्राधिकारियों को पूर्व में ही स्वमेव प्रकटीकरण के महत्व को अनुभव करना चाहिये क्योंकि अन्ततः इस तरह के प्रकटीकरण से सूचना के लिये निवेदनों की संख्या कम होगी। इसलिये यह सिफारिश की जाती है कि सरकार जन प्राधिकारियों को सूचनाधिकार अधिनियम के सैक्सन 4(1) के तहत जितना सम्भव हो सके उतनी अधिक से अधिक सूचना प्रकट करने के लिये निर्देश

- दे, जैसे कि कार्यों, कर्तव्यों, प्रणालियों, जवाबदेही और अपने कार्यो के निर्वहन के लिये प्रतिस्थापित किये गये मापदंडों में नागरिक चार्टर की सभी प्रमुख विशेषतायें हैं।
- (घ) अतएव, नागरिकों का चार्टर, सैक्सन 4(1) के तहत प्रकटीकरण का एक अभिन्न अंग है तािक जनता एक जन प्राधिकारी की नागरिकों के प्रति वचनबद्धता के बारे में सचेत रहे। सभी जन प्राधिकारियों को, जहां भी आवश्यक हो, अपने कार्य करने की पद्धतियों का अवश्य ही पुनार्वलोकन करना चािहये। जनता को नाराज करने वाली कार्य पद्धतियों पर जनता में ही वाद विवाद होना चािहये और उन्हें अधिक नागरिक मैत्रीपूर्ण बनाना चािहये। नागरिकों को जब कभी भी आवश्यक हो आर.टी.आई के तहत प्रकट किये गये मापदंडों को कानूनीरूप से लागू करने में सक्षम होना चािहये।
- (ड़) सैक्सन 4(1)(बी) के तहत प्रकटीकरण में सभी विस्तृत विवरण होने चाहिये जिनकी एक्ट के तहत जरूरत होती है और इन विवरणों को समय-समय के अन्तराल के अनुसार अध्यतन करते रहना चाहिये। आयोग के पास अपर्याप्त प्रकटीकरण या इस एक्ट के तहत वांछित विवरण का अप्रकटीकरण के लिये जन प्राधिकारियों को दण्डित करने के लिये अधिकार होने चाहियें।
- (च) इन प्रकटीकरणों को अपनी वार्षिक रिर्पोटों में प्रकाशित करना जन प्राधिकारियों के लिये अति आवश्यक होना चाहिये।
- (छ) यह सुझाव दिया जाता है कि अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों में इस अधिनियम को लागू करने के प्रति उनके व्यवहार के बारे में विशेष स्तम्भ (कालम) शामिल किये गये। एस. पी.आई.ओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की स्वतः मूल्यांकन रिर्पोट में उन द्वारा प्राप्त की गई और निपटाई गई आवेदनों/अपीलों की संख्या अवश्य शामिल होनी चाहिये।

अनुबंध – 'क'

हरियाणा सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना

संख्या 99/सी.ए 22/2005/एस 27/2009-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(1) ये नियम हिरयाणा सूचना अधिकार नियम, 2009 कहे जा सकते हैं।
 (2) ये प्रथम जनवरी, 2010 से लागू होंगे।

परिभाषाएं

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
 (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, सूचना का अधिकार, अधिनियम,
 2005 (2005 का अधिानियम 22);
 - (रू) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा सूचना आयोग;
 - (ग) "आदर्श प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संग्लन आदर्श प्ररूप;
 - (घ) "धारा" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा ।
 - (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, किन्तु परिभाषित नहीं है के वही अर्थ होंगे जो इन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन – धारा 2 (ड), 6 तथा 27

- 3. (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, इन नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दृष्ट फीस के साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्ररुप 'क' में आवेदन करेगा।
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन मिल गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, आवेदन को इसके टोकन की रसीद देगा।

फीस जमा करना अधिनियम की धारा 6

> 4. (1) फीस राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास या तो उचित रसीद सहित नगदी में या बैंक ड्राफट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा निम्नांकित शीर्ष में जमा करवाई जायेगी: –

मुख्य शीर्ष ... 0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं

उप – मुख्यशीर्ष ... 60 – अन्य सेवाएं

लघु शीर्ष ... 800 – अन्य प्राप्तियां

उप – शीर्ष ... 86 – शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत

विस्तृत शीर्ष ... 0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – 60 – अन्य सेवाएं – 800 – अन्य प्राप्तियां – 86 – शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत.

- (2) शुल्क की राशि उप-नियम (1) में संदर्भित शीर्षक में जमा की जाएगी: परन्तु राज्य के बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत निकाय आवश्यक शुल्क को अपने द्वारा बनाए गए खातों में जमा करवा सकते हैं।
- (3) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा तथा निर्धारित करेगा कि फीस सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संघ की जानी अपेक्षित है ।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित फीस की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने को सुनिश्चित करने के लिए आदर्श प्ररूप 'ख' में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा शीघ्रता से आवेदक को सूचित की जाएगी।
- (5) यदि आवेदक उप-नियम (4) के अधीन उसको दी गई सूचना के जारी होने के बाद पन्द्रह दिनों की अविध के भीतर अपेक्षित फीस जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि आवेदक चाही गई सूचना प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, और उसका आवेदन फाइल कर दिया गया समझा जाएगा ।

फीस की प्रमात्र धारा 6 तथा 7

- (1) धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए
 आवेदन के साथ 50/- रूपये की फीस के साथ होगा।
 - (2) धारा ७ की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात:-
 - (क) v-4 या v-3 आकार के कागज पर बनाई गई प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिये 2/- रूपये; तथा

- (ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बडे आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो वास्तवित लागत प्रभारित की जाएगी।
- (3) धारा ७ की उप-धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से निम्निलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थातु:-
 - (क) फलोपी में सूचना प्राप्त करने के लिए 50 / रूपये;
 - (ख) डिस्किट में सूचना प्राप्त करने के लिए 100 / रूपये: तथा
 - (ग) यदि चाही गई सूचना वैसे स्वरूप की है, जो कि मुदित दस्तावेज में है, जिसका मूल्य नियत किया गया है, तब वह सूचना उस मुदित दस्तावेज के लिए नियत मूल्य प्रभारित करने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी । तथापि, यदि, केवल ऐसे मुदित दस्तावेज का उदाहरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब 10 / रूपए प्रति पृष्ठ की फीस प्रभारित की जाएगी ।
- (4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तब प्रथम घण्टे से अधिक प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए 10 / रूपए की फीस प्रभारित की जाएगी । उपरोक्त पन्द्रह मिनट की अवधि का प्रत्येक अंश पन्द्रह मिनट की पूर्ण अवधि के रूप में अनुमानित किया जाएगा तथा यह पन्द्रह मिनट की संपूर्ण अवधि के रूप में प्रभारित किया जाएगा ।

अपील प्राधिकारियों के समक्ष अपील की प्रक्रिया धारा 19(1) तथा (3)

- 6. (1) अपील के ज्ञापन में निम्निलिखित सूचना होगी, अर्थात :-
 - (क) अपीलार्थी का नाम व पता, जिसमें दूरभा ा/मोबाईल नम्बर/ई-मेल पता, यदि कोई हो, सम्पर्क का विवरण शामिल हो;
 - (ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय पदनाम तथा पता;
 - (ग) प्रथम अपील प्राधिकारी का सरकारी पद तथा पता जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की गई है;
 - (घ) संख्या, यदि कोई हो, सिहत आदेश के विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गई है;
 - (ड) अपील में जाने के लिए संक्षिप्त तथ्य;
 - (च) प्रार्थना या चाही गई राहत;
 - (छ) प्रार्थना या राहत के लिए आधार;
 - (ज) अपीलाथीं द्वारा सत्यापन; तथा
 - (झ) अन्य कोई सूचना जो आयोग अपील नि यि करने हेतू आवश्यक समझें।
 - (2) अपीलार्थी सरकारी प्रयोजन के लिए अपील के ज्ञापन की तीन प्रतियां पेश करेगा ।
 - (3) आयोग को की गई प्रत्येक अपील निम्नलिखित दस्तावेजों सहित होनी चाहिए, अर्थात :-
 - (क) आदेशों या दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जिसके विरूद्ध अपील दायर की जानी है;
 - (ख) अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट किए गए विश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां;और
 - (ग) अपील में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों की सूची;

परन्तु मामले के पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर अपील खारिज नहीं की जाएगी लेकिन औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु अपीलार्थी को कहा जाएगा ।

अपील नि यि करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 19 (10)

- (7) अपील का नि यि करने से पूर्व आयोग, :-
 - (क) सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस तामील करेगा;
 - (ख) अपील के सर्मथन में कोई साक्ष्य लेगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों से मौखिक या लिखित रूप में लिया जा सकता है;
 - (ग) सम्बद्ध व्यक्तियों से शपथ पर या शपथ पत्र लेते हुए निरीक्षण करेगा;
 - (घ) दस्तावेजों या किन्हीं अभिलेखों या उनकी प्रतियों को पेश करेगा या निरीक्षण करेगा;
 - (ड) किसी अपील के तथ्यों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जांच करेगा या विस्तार में तथ्यों की अपेक्षा करेगा यदि ऐसा समुचित प्रतीत हो, राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था जैसी भी स्थिति हो, की सुनवाई करेगा; तथा
 - (च) राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था या कोई अन्य व्यक्ति जिससे साक्ष्य आवश्यक समझा जाए, से शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करेगा।

नोटिस के तामील का ढंग धारा 19(10)

> 8. आयोग सम्बद्ध व्यक्तियों को निम्निलिखित ढंगों में से किसी एक में नोटिस तामील कर सकता है, अर्थात् : –

- (क) आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से (दस्ती);
- (ख) रिजस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, पोस्टल प्रमाण-पत्र, के अधीन, क्रियर या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा;
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, यदि ई-मेल पता दिया गया हो; या
- (घ) समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा।

अपीलार्थी या शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति धारा (19)

9. अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को, जैसी भी स्थित हो, सुनवाई की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन ठीक पूर्व सूचित किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है तो आयोग मामले का गुणागुण आधार पर निर्णय करेगाः

परन्तु जहाँ आयोग की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियांविद्यमान है जिनके कारण शिकायतकर्ता / अपीलार्थी को आयोग की सुवाई में उपस्थित होने से रोका गया है तब वह शिकायतकर्ता / अपीलार्थी को अन्तिम निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के लिये दूसरा अवसर प्रदान कर सकता है।

आयोग द्वारा आदेश धारा 19 (10)

- 10. (1) आयोग लिखित में आदेश करेगा तथा सम्बद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में उसे सुनाएगा।
 - (2) सम्बद्ध पक्षकार, आयोग से, आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है।

निरसन, तथा व्यावृति. हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परंतु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के अनुरूप उपबन्ध के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

आदर्श प्ररूप 'क'

{देखिए नियम 3 (1)}

सेवा में

राज्य लोक सूचना अधिकारी / राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

(पते सहित कार्यालय का नाम)

- (1) आवेदक का पूरा नाम
- (2) पता
- (3) अपेक्षित सूचना के विवरण-
 - (i) सूचना की विषय वस्त्*
 - (ii) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित**
 - (iii) अपेक्षित सूचना का वर्णन***
 - (iv) क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में अपेक्षित है(वास्तविकता डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे)
 - (v) यदि डाक द्वारा (सामान्य, रिजस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

स्थान:

तिथि:

- निर्दिष्ट किये जाने वाले विषय का विस्तृत प्रवर्ग (जैसा कि अनुदान/सरकारी भूमि/ सेवा मामले/ अनुज्ञप्तियां इत्यादि)।
- ** सम्बद्ध अविध जिसके लिए सूचना निर्दिष्ट की जानी अपेक्षित है।
- *** सूचना के विशिष्ट विवरण निर्दिष्ट किये जापे अपेक्षित है।

		पवती			
आपका	आवेदन दिनांक	डायरी संख्या	दिनांक	ā	द्वारा
	प्राप्त हुआ।				
			लोक सचना अ	धिकारी ⁄ राज्य सा	हायव

लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर

(विभाग/कार्यालय का नाम).....

आदर्श प्ररूप 'ख'

{ देखिए नियम 4(4) }

प्रेषक

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम।

सेवा में

आवेदक का नाम

आवेदक का पता।

महोदय,

- 1. कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए निम्न हस्ताक्षरित को सम्बोधित किए गए आपके आवेदन दिनांक.......के संदर्भ में।
- 2. यह सूचना भेजने के लिए अतिरिक्त फीसरूपये है।
- 3. आपको हिरयाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 के नियम 4 के उप-नियम (1) में यथावर्णित किसी एक ढंग के माध्यम से अर्थात् या तो उचित रसीद के साथ नकदी में, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है, तथा इस कार्यालय को उसके सबूत की एक प्रति भेजने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि आपको अपेक्षित सूचना दी जा सके।

राज्य लोक सूचना अधिकारी

उर्वशी गुलाटी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

अनुबन्ध – 'ख' अवधाि 1.1.2012 से ३ 1.12.2012 सूचना के अधािकार अधिानियम – 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र एंव उनके निपटान का रिजस्टर अधिनियम में निहित सूचना का अधिकार प्राप्त शुल्क राशि (रूपयों इस अधिनियम के प्रबंध, भावना व आश्य हेतु लोक इस लोक प्राधिकरण का नाम अधिनियम के प्राप्त प्राधिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों की वास्तविक विकास / उत्थान / नवीनीकरण / स् प्रार्थना पत्रें व्यवस्थाओं अधिनियम के में) अनुसार की संख्या (संक्षिप्त कारणों सहित) उल्लंघन के कारण रिपोर्ट धार संशोधन अथवा अन्य कानुन अस्वीकार प्रार्थना पत्रों किसी भी अधिकारी निर्माण व सामान्य नियम या किसी के खिलाफ की गई की संख्या अन्य बात जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप हो अन्शासनात्मक और उन पर की गई कार्यवाही कार्रवाई संबंधी अगर कोई संस्तृति प्राप्त हुई हो। 2 6 7 1 ख ख क धारा १ के आयोग की अभिलेखों धारा ८ के आवेदन की अन्यथा अंतर्गत अंतर्गत सिफारिश फीस 6(1) की फीस 7(3) विभागाध्यक्ष कृषि निदेशक इस अधिनियम की भावना और मंशा को लागू करने 374 3 16610 15190 0 0 के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। अभीलेखागार (निदेशक) विभाग द्वारा इस अधिनियम की भावना और मंशा को 20 0 0 0 3 50 लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

3	सी०आई०डी० (ए०डी०जी०पी० सी०आई०डी० (एच०)	122	47	0	0	0	4450	3 41	0	0
4	चकबन्दी (निदेशक)	46	0	0	0	0	1450	55	दृढता से लागू किया।	0
5	सहकारिता (रजिस्ट्रार)	3 58	10	41	14	60	173 80	4843	0	0
6	विकास एंव पंचायतें (निदेशक)	1694	0	0	2	2	66820	16224	0	0
7	स्कूल शिक्षा (महानिदेशक)	23 42	0	0	0	0	48335	4470	0	0
8	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (निदेशक)	1949	0	0	0	0	26229	5709	अपीलीर्थियों को आर.टी.आई.एक्ट, 2005 से संबंधित जानकारी एंव मार्गदर्शन प्रदान किया गया।	0
9	चुनाव (चुनावी प्रमुख)	502	3	0	0	0	9875	62617	आर.टी.आई नियम के अनुसार समय पर जानकारी प्रदान की गई।	0
10	रोजगार (निदेशक)	220	2	1	0	0	7610	4161	0	0
11	पर्यावर्ण (निदेशक)	3 6	0	0	0	0	1250	13 65	0	0
12	आबकारी एंव कराधान (ई.टी. सी)	123 5	2	0	0	0	28675	6688	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्रों की सूचना प्रदान करने बारे हर सम्भव कोशिश की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधान अनुसार अमले को प्रशिक्षित किया गया	0

13	खाद्य एंव आपूर्ति (निदेशक)	2632	0	0	0	2	71926	41672	0	0
14	वन विभाग (पी.सी.सी.एफ)	661	2	0	0	0	13 2 5 0	16914	0	0
15	स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशक)	2033	5	0	0	0	51490	28508	समस्त आवश्यक सूचना नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई और अधिनियम तथा नियमों को वैबसाईट से डाऊन लोड किया गया और इसकी एक प्रति जनता की सुविधा हेतु रखी गई और राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत रजिस्टर खोला गया और इसे मेनटेन किया गया।	0
16	गृह रक्षी एंव नागरिक सुरक्षा (सामान्य नियंत्रण)	102	0	0	0	0	3 550	6984	0	0
17	बागवानी विभाग (निदेशक)	143	0	6	0	1	5410	10080	0	0
18	सत्कार विभाग (निदेशक)	14	0	0	0	0	330	70	इस अधिनियम की भावना व मंशा को लागू करने के लिये रिपोर्टे व्यवस्थापक के तहत वास्तविक तथ्यों पर आवेदक को उपलब्ध कराई गई।	0

19	उद्योग एंव वाणिज्य(निदेशक)	720	19	0	0	0	27930	20961	0	C
20	औद्योगिक प्रशिक्षण एंव व्यावसायिक	963	0	0	0	0	20850	15817	विभाग की वैबसाईट लांच कर दी गई है हिप्पा द्वारा आर.टी.आई एक्ट के अन्तर्गत विभाग के एस.पी.आई. ओ को प्रशिक्षण दिया गया है। इस अधिनियम की भावना और मंशा को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।	0
21	संस्थागत वित्त एंव केडिट नियंत्रण	6	0	0	0	0	200	0	0	0
22	सिचांई अनुसंधान एंव प्रबधंन संस्थान	149	0	0	0	0	1250	0	0	0
23	श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ	740	0	0	2	0	253 18	10222	0	0
24	भूमि रिकार्ड (निदेशक)	46	0	0	0	0	1450	55	0	0
25	विधि एंव विधायी विभाग (एल०आर० एवं सचिव)	57	0	0	0	0	1200	13 3 4	जानकारी उपलब्ध करवाई गई।	C
26	लॉटरी (निदेशक)	16	0	0	0	0	400	206	0	0
27	खान एव भूविज्ञान विभाग (निदेशक)	174	0	0	0	0	5750	2172	0	(
28	पुलिस विभाग (प्रबंध निदेशक)	3 67	0	0	0	0	10540	13 148	0	(
29	मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग (नियंत्रक)	87	0	0	0	0	3 450	631	0	0
3 0	जन सम्पर्क एंव सांस्कृतिक कार्य (डीपीआर)	2	0	0	0	0	0	0	0	0

31	लोक निमार्ण विभाग (भवन तथा सड़के)(प्रमुख अभियन्ता)	1578	0	0	0	0	3 8720	21874	अपीलार्थी को निर्धारित समय के अंदर सूचना उपलब्ध करवा दी गई।	0
3 2	ग्रामीण विकास विभाग (निदेशक)	73 0	4	0	0	0	16570	2712	0	(
3 3	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (निदेशक)	521	0	0	0	0	18850	24154	0	0
3 4	छोटी बचत (निदेशक)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3 5	खेल एंव युवा कल्याण (निदेशक)	157	0	0	0	0	43 40	1774	0	(
3 6	आपूर्ति एंव निपटान विभाग (निदेशक)	21	0	0	0	ð	1050	12670	0	(
37	नगर एंव आयोजन	50	0	0	0	0	2500	6745	0	0
3 8	परिवहन आयुक्त	1474	0	0	0	0	3 5 5 9 0	6212	0	0
3 9	अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के कल्याण	566	0	0	0	0	8900	3 085	इस एक्ट को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।	0
40	महिला एंव बाल विकास (निदेशक)	113 9	3 5	2	0	5	29795	17661	0	0
41	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग	1791	0	0	0	0	3 563 0	3 643	विभाग द्वारा आर.टी.आई एक्ट, 2005 को विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।	0
42	रवाद्य एंव औषधि प्रशासन	3 01	1	0	0	0	8770	1524	एक्ट की मंशा व भावना के तहत अपीलों का समय पर निपटान किया गया।	
	कुल योग	26143	13 6	50	18	73	674043	3 9253 5	0	(

						बोर्ड	एवं नि	गम		
1	कृषि विपणन बोर्ड (अध्यक्ष)	44	0	0	0	0	650	0	0	0
2	सहकारी प्रसंघ चीनी मिल लि0 (अधयक्ष)	48	0	0	0	0	2570	3 13 0	0	0
3	सहकारी आपूर्ति एंव विपणन प्रसंघ लि० (हैफेड़) (अध्यक्ष)	258	0	0	0	0	9740	21923	आर.टी.आई. एक्ट के तहत अपीलार्थियों को जानकारी प्रदान की गई।	0
4	दुग्धा विकास सहकारी प्रसंघ लि0 (अधयक्ष)	129	13	0	0	0	2850	994	0	0
5	इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि0 (हाट्रोन) (अध्यक्ष)	68	0	0	0	0	2550	3 3 80	एक्ट के कार्यान्वयन के लिये भरसक प्रयास किये गये।	0
6	खादीऔर ग्रामोउद्योग बोर्ड	27	0	0	0	0	0	0	0	0
7	भूमि सुधार एंव विकास निगम (एचएलआरडीसी) (अध्यक्ष)	13	0	0	0	0	650	3 3 9	0	0
8	बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी (अध्यक्ष)	13	0	0	0	0	560	500	0	0
9	बीज विकास निगम लिमिटेड (अध्यक्ष)	66	0	0	0	0	3 3 00	23 99	0	0

10	हरियाणा विद्युत नियामक	3 9	0	1	0	0	1060	82	हरियाणा बिजली नियमाक आयोग द्वारा पारित	0
	आयोग (एचईआरसी)								आदेशानुसार समस्त संबंधाित दस्तावेजों की सूचना	
									आयोग की वैबसाईट पर उपलब्धा है। अधिनियम में	
									वर्णित नियमित समय अनुसार जन नागरिकों को	
									सूचना उपलब्ध करवाई गई।	
11	सहाकरी समितियां, हरियाणा	3 5 5	10	41	14	60	17280	4837	विभाग के अधिकारियों द्वारा पंचकूला, हिसार तथा	0
	,								गुड़गांव में आर.टी.आई सेमिनार में भाग लिया गया।	
12	चौधरी चरण सिंह, हरियाणा	636	1	0	0	0	3 2 3 8 2	7656	कार्यालय की समस्त शाखाओं /यूनिटों के इन्चार्जी	0
	कृषि विश्वविद्यालय, हिसार								की सूचना का अधिकार के मामलों को परम् अग्रता	
									से निपटाने के निर्देश दिए गए और उन द्वारा ऐसे	
									मामलों को तत्परता से निपटाया गया।	
13	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा	113	0	0	0	0	4900	1145	0	0
14	हरियाणा वन विभाग	10	0	0	0	0	3 50	13 2	0	0
15	भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय	158	4	0	0	0	7630	10589	माननीय उप-कुलपति के आदेश कमांक	_
									1282 – 13 17 दिनांक 28.08.2012 के अनुसार जिन	
									जन सूचना अधिकारियों के अधिकत्म अंक होंगे वे	
									अनय जन सूचना अधिकारियों से सूचना एकत्रित	
	कुल योग	1977	28	42	14	60	86472	57106	0	-

मण्डल आयुक्त

1	आयुक्त, गुडगांव मंडल, गुडगांव	206	0	0	0	0	4000	1429	_	-
2	आयुक्त, रोहतक मण्डल, रोहतक	107	0	0	0	0	2110	410	_	_
	कुल योग	3 13	0	0	0	0	6110	1839	_	1
	<u> </u>					<u>ਤ</u>	पायुक्त	<u> </u>	<u> </u>	
1	उपायुक्त, झज्जर	297	0	0	0	0	8090	3 90	-	_
2	उपायुक्त, रिवाडी	840	0	0	0	0	21670	27757	-	-
3	उपायुक्त, सोनीपत	224	0	0	0	0	3 5 5 0	600	199	-
4	उपायुक्त, यमुनानगर	235	0	0	0	0	7846	0	0	-
	कुल योग	1596	0	0	0	0	41158	28747	199	1
					٦	प्रशास	कीय स	चिव		
1	मुख्य सचिव हरियाणा, चण्डीगढ़	1047	0	0	0	0	3 1610	13 45	_	-
2	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन और चकबन्दी विभाग	713	3	0	0	0	28665	17127	-	-
3	गृह, जेलों, अपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन	17	0	0	0	0	780	0		1
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0	0	0	0	0	0	0	विभाग में आर.टी.आई एक्ट, 2005 लागू किया गया	-
5	आबकारी एंव कराधान विभाग	1221	2	0	0	0	28515	6688	विभाग द्वारा इस अधिनियम के तहत आवेदनों की जानकारी जल्दी से जल्दी प्रदान करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।	-

7	उद्योग एंव वाणिज्य, खान एंव भूमिज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अभिलेखागार विभाग	0	0	0	0	0	470 0	0	इस एक्ट को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा इस अधिनियम की भावना और मंशा को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।	-
8	स्वास्थ्य विभाग	166	0	0	0	0	4450	5110	इस एक्ट को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।	-
9	लोक निर्माण विभाग (भवन एंव सड़के) और वास्तुकला विभाग	1502	0	0	0	0	3 8020	21874	समस्त आवश्यक सूचना नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई और अधिनियम तथा नियमों को वैबसाईट से डाऊन लोड किया गया और इसकी एक प्रति जनता की सुविधा हेतु रखी गई और राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत रजिस्टर खोला गया और इसे मेनटेन किया गया।	-
10	मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग	87	0	0	0	0	3 450	631	-	-

11	हरियाणा विधान सभा सचिवालय	98	0	0	0	0	3 170	3731	समय – 2 पर राज्य सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिये। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य के लिए पृथक पद निर्मित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए। अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य करने के एवज में मानदेय दिए जाने का प्रावधान होना चाहिये।	
12	सूचना प्रोद्योगिकी	21	0	0	0	0	450	620	इस एक्ट को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।	
13	उद्योग एंव वाणिज्य विभाग	19	0	0	0	0	470	80	_	
14	विधि परामर्शी और प्रशासनिक सचिव हरियाणा	57	0	0	0	0	1200	13 3 4	जानकारी प्रदान की गई।	-
	कुल योग	4967	5	0	0	0	141250	58620	0	0
	सर्वयोग	3 4996	169	92	32	13 3	949031	53 8847	199	

अनुबन्ध गं

	कारी अधिकारियों की सूची जिनसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। विभाग के प्रमुख
1	महाधिवक्ता (एं.जी.)
2	पशु पालन एंव दुग्ध उत्पाद (महानिदेशक)
3	पुरातत्व एंव संग्रहालय (निदेशक)
4	वास्तुकला (मुख्य वास्तुकार)
4 5	आयुष (निदेशक)
6	कल्याणकारी बन्दोबस्त (महाप्रशासक एंव सरकारी न्यासी)
7	जनगणना संचालन (निदेशक)
8	नागरिक उड्डयन (सलाहकार)
9	अर्थ एंव सांख्यिकीय विश्लेषण (ई०एस०ए०)
10	उच्चतर शिक्षा विभाग (आयुक्त)
11	इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी (निदेशक)
12	मुख्य विद्युत निरीक्षक (मुख्य निरीक्षक)
13	राज्य रोजगार एक्सचेंज (उप निदेशक)
14	मत्स्यपालन विभाग (निदेशक)
15	शिकायतें निवारण विभाग (निदेशक)
16	प्रजनन एंव बाल स्वास्थ्य(परियोजना)
17	हरियाणा एडस नियंत्रण सोसायटी (अध्यक्ष)
18	राज्य टी०बी० नियंत्रण समीति एंव कुष्ठ समीति (अधयक्ष)
19	राज्य टी०बी० संस्था हरियाणा(प्रधान)
20	कर्मचारी राज्य बीमा (निदेशक)
21	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा)(निदेशक)
22	सिंचाई विभाग (सलाहकार)
23	हरियाण राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण(कार्यकारी अधयक्ष)
24	स्थानीय लेखा परीक्षा(निदेशक)
25	एन0आई0सी0 – कम्प्यूटर केन्द्र (वरिष्ठ तकनीकी)
26	पंचायती राज लोक निमार्ण कार्य (मुख्य अभियंता)
27	कारागार विभाग(संयुक्त सचिव)
28	अभियोग (निर्देशक)
29	पुनर्वास (सयुक्तं सचिव)
3 0	अक्षय ऊर्जा (निर्देशक)
3 1	राजस्व प्रशिक्षण संस्थान (प्रधानाचार्य)
3 2	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (निदेशक)
3 3	तकनीकी शिक्षा (निदेशक)
3 4	पर्यटन विभाग (निदेशक)

	The second secon
3 5	राज्य परिवहन नियत्रंक (राज्य परिवहन)
3 6	खजाना एंव लेखा विभाग (निदेशक)
3 7	शहरी स्थानीय निकाय (निदेशक)
3 8	शहरी सम्पदा विभाग (निदेशक)
3 9	सतर्कता (जांच अधिकारी)
40	राज्य सतर्कता ब्यूरो (निदेशक)
41	सतकर्ता विभाग, हरियाणा
	बोर्ड एवं निगम
1	कृषि उद्योग निगम लि0 (अध्यक्ष)
2	पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (अध्यक्ष)
3	आयुर्वेदिक और यूनानी दवा प्रणाली बोर्ड (अध्यक्ष)
4	होमोपेथिक दवा प्रणाली की परिषद्(अध्यक्ष)
5	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण(प्रशासनिक)
6	सहकारी केन्द्रीय बैंक लि0 (अध्यक्ष)
7	सहकारी विकास प्रसंघ (प्रबंधक निदेशक)
8	सहकारी आवास प्रसंघ (अध्यक्ष)
9	सहकारी श्रम और निमार्ण प्रसंघ लि0 (अध्यक्ष)
10	सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(प्रबंधक निदेशक)
11	उपभोक्ता सहकारीथोक भंडारण प्रसंघ(अध्यक्ष)
12	राज्य सलाहकारी बोर्ड (अध्यक्ष)
13	ऊর্जा उत्पादन निगम (अध्यक्ष)
14	विद्युत उत्पादन निगम (एच.पी.जी.सी) (अध्यक्ष)
15	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
16	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
17	वित्तीय निगम (एच.एफ.सी) (अध्यक्ष)
18	हथकरघा एवं हस्तकला निगम लि० (अध्यक्ष)
19	अनुसूचित जाति वित एंव विकास निगम लि0(अध्यक्ष)
20	हाउसिंग बोर्ड (अध्यक्ष)
21	लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (अध्यक्ष)
22	औद्योगिक सहकारी प्रसंघ लि0 (लिक्विडेटर)
23	औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लि० (अध्यक्ष)
24	कला परिषद (उपाधयक्ष)
25	भूमि उपयोग बोर्ड (निदेशक – सह – सदस्य सचिव)
26	पशुधन विकास बोर्ड (अध्यक्ष)
27	श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड(अध्यक्ष)
28	चिकित्सा परिषद् (प्रधान)
29	राज्य दन्त परिषद् (प्रधान)
3 0	नर्सिग पंजीकरण परिषद(प्रधान)
L	

31	मेवात विकास ऐजेंसी(अध्यक्ष)
3 2	लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमि० (एम०आई०टी०सी०) (प्रबंधक निदेशक)
3 3	विदेश सोपान सहायता समिति (एच०ओ०पी०ए०एस०) (अध्यक्ष)
3 4	फार्मेसी परिषद(रजिस्ट्रार)
3 5	पुलिस आवास निगम(अध्यक्ष)
3 6	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष)
3 7	हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् (प्रधाान)
3 8	हरियाणा पंजाबी सहित्य अकादमी (अध्यक्ष)
3 9	राज्य सैनिक बोर्ड (सचिव)
40	अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी (एच.ए.आर.ई.डी.ए) (अध्यक्ष)
41	सड़क एवं पुल विकास निगम लि० (अध्यक्ष)
42	ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड एच आर डी एफ(अध्यक्ष)
43	संवाद (अध्यक्ष)
44	हरियाणा साहित्य अकादमी (अध्यक्ष)
45	संस्कृत अकादमी (अध्यक्ष)
46	संस्कृतिक अकादमी (सदस्य सचिव)
47	विज्ञान एंव तकनीकी परिषद(अध्यक्ष)
48	शिवालिक विकास बोर्ड (अध्यक्ष)
49	मिलन अभिवेदित बोर्ड (मुख्य प्रशासक)
50	समाज कल्याण बोर्ड (अध्यक्ष)
51	स्वतंत्र्र्ता सैनिक सम्मान समीति(अध्यक्ष)
52	पर्यटन विकास निगम लि० (अध्यक्ष)
53	शहरी विकास प्राधिकरण (हुड्डा) (सी.ए)
54	पंचकूला सर्कल प्रशासन(अध्यक्ष)
55	हरियाणा उर्दू अकादमी(अध्यक्ष)
56	भंडारण निगम (अध्यक्ष)
57	हरियाणा महिला विकास निगम(अध्यक्ष)
58	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंव शहरी विकास समीति (योजना निदेशक)
59	बाल कल्याण परिषद(प्रधान)
60	वक्फ बोर्ड (अध्यक्ष)
61	श्रवण एंव वाणी विकलांगता समिति (प्रधान)
62	अंधापन नियंत्रण समिति(अध्यक्ष)
63	भारतीय रैडकास समिति (अध्यक्ष)
64	भारतीय ग्रामीण महिला संघ (प्रधान)
65	हरियाणा हिंद कुष्ठ निवारण संघ (प्रधान)
66	साकेत परिषद (प्रधान)
67	हरियाणा राज्य चुनाव आयोग
68	हरियाणा लोक सेवा आयोग (एच.पी.एस.सी)
L	I .

(0	
69	लोकायुक्त हरियाणा
70	हरियाणा राज्य महिला आयोग (पंचकूला)
71	श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड गुडगांव
72	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद निवारण आयोग (सचिव)
73	स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक (निदेशक)
	मण्डल आयुक्त
1	आयुक्त, अम्बाला मण्डल, अम्बाला
1	आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार
	उपायुक्त
1	उपायुक्त अंबाला
2	उपायुक्त भिवानी
3	उपायुक्त फरीदाबाद
4	उपायुक्त फतेहाबाद
5	उपायुक्त गुडगांव
6	उपायुक्त हिसार
7	उपायुक्त जीन्द
8	उपायुक्त करनाल
9	उपायुक्त कैथल
10	उपायुक्त कुरूक्षेत्र
11	उपायुक्त महेन्द्रगढ (नारनौल)
12	उपायुक्त मेवात (नूह)
13	उपायुक्त पलवल
14	उपायुक्त पानीपत
15	उपायुक्त पंचकूला
16	उपायुक्त रोहतक
17	उपायुक्त सिरसा
	जिला एंव सत्र न्यायधाीश
1	जिला एंव सत्र न्यायधीश, अम्बाला
2	जिला एंव सत्र न्यायधीश, भिवानी
3	जिला एंव सत्र न्यायधीश, फरीदाबाद
4	जिला एंव सत्र न्यायधीश, फतेहाबाद
5	जिला एंव सत्र न्यायधीश, गुडगांव
6	जिला एंव सत्र न्यायधीश, हिसार
7	जिला एंव सत्र न्यायधीश, जींद
8	जिला एंव सत्र न्यायधीश, झज्जर
9	जिला एंव सत्र न्यायधीश, कैथल
10	जिला एंव सत्र न्यायधीश, करनाल
11	जिला एंव सत्र न्यायधीश, कुरूकक्षेत्रा

12	जिला एंव सत्र न्यायधीश, महेन्द्रगढ, नारनौल
13	जिला एंव सत्र न्यायधीश, मेवात, नुह
14	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पंचकुला
15	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पानीपत
16	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पलवल
17	जिला एंव सत्र न्यायधीश, रिवाडी
18	जिला एंव सत्र न्यायधीश, रोहतक
19	जिला एंव सत्र न्यायधीश, सिरसा
20	जिला एंव सत्र न्यायधीश, सोनीपत
21	जिला एंव सत्र न्यायधीश, यमुनानगर
	प्रशासकीय सचिव
1	राजनीतिक विभाग
2	पर्यावरण विभाग
3	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, हरियाणा
4	शहरी स्थानीय निकाय विभाग
5	सहकारिता विभाग
6	महिला एंव बाल विकास विभाग
7	वित्त एवं आई.एफ.सी.सी एवं योजना विभाग
8	परिवहन एंव नागरिक उड्डयन विभाग
9	ऊर्जा विभाग
10	तकनीकी शिक्षा एंव औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
11	नगर एंव ग्राम आयोजना एंव शहरी संपदा विभाग
12	सिंचाई विभाग
13	पर्यटन और आवास विभाग
14	उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग
15	पशु पालन एवं दुग्धा उत्पाद विभाग
16	विज्ञान एवं तकनीकी एवं अक्षय ऊर्जा विभाग
17	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
18	अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग विभाग के कल्याण
	स्कूल शिक्षा, श्रम एंव रोजगार विभाग और अध्यक्ष, हरियाणा खनिज लि०, नई दिल्ली
19	
20	पचांयत एंव विकास विभाग और सचिव, बी ए सी और आयुक्त, गुरूद्वारा चुनाव
21	हरियाण सूचना एवं जन संपर्क सामाजिक कल्याण एवं शिकायत विभाग
21	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग
23	मत्स्य पालन विभाग
24	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चुनाव विभाग एंव निदेशक अक्षय ऊर्जा
25	राज्यपाल के सचिव, हरियाणा

अनुबन्ध 'घ' राज्य लोक सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत जारी किये गये दंड का विवरण

			`					
1.1	.20	12	स	3	1.1	2.	20	12

केस नं0		निर्णय	की	लागू किए	गए	दोषी एस0पीआई0ओ0 की सूची	राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पता
		तिथि		जुर्माने	की	-	-
				राशि			
755/2011	में	3 0.11.2	2011	25000/-	_	डॉ0 राजपाल लाम्बा बनाम निदेशक राष्ट्रीय	श्री एन.के. गुप्ता, राज्य जन सूचना
152/2011						ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा, पंचकूला।	अधिकारी-कम- उप-निदेशक कार्यालय,
							निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
							हरियाणा, पंचकूला।
436/2011	में	27.01.2	2012	10000 / -	-	श्री राजीव सचदेवा बनाम हुडडा, पंचकूला।	संपत्ति अधिकारी, हुडडा, सैक्टर-6,
1179 / 2011						•	पंचकूला।
760 / 2011 में		01.02.2	2012	25000/-	_	श्री माया चंद बनाम श्री राम अवतार गुप्ता	जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक।
425 / 2011 मे						उसके बाद जिला राजस्व अधिकारी-कम-	
1487/2011						एस.पी आई.ओ, रोहतक (अब भूमि अधिग्रहण	
						अधिकारी, हुड्डा, गुड़गांव।)	
516 / 2011	मे	08.02.2	2013	5000/-	,	श्री ओम प्रकाश बनाम खण्ड विकास एव	श्री हरभगवान, राज्य सूचना
1408/2011						पंचायत अधिकारी, अटेली नंगल।	अधिकारी-सह-खण्ड विकास एव पंचायत
							अधिकारी, अटेली नंगल, महेन्द्रगढ।
916 / 2011	में	08.02.2	2013	5000/-	,	श्री राम देव बनाम खण्ड विकास एव पंचायत	श्री हरभगवान, राज्य सूचना
3 111 / 2011						अधिकारी, अटेली नंगल।	अधिकारी-सह-खण्ड विकास एव पंचायत
							अधिकारी, अटेली नंगल, महेन्द्रगढ।
789/2011	में	28.02.2	2012	5000/-	•	श्री राजेश कुमार बनाम हुडडा, सोनीपत।	राज्य जन सूचना अधिकारी-सह- संपत्ति
2916/2010						-	अधिकारी, हुडडा, सोनीपत।
728/2010	में	13.03.2	2012	10000 / -	-	श्री ओम प्रकाश बनाम जिला विकास शिक्षा	एस.पी.आई.ओ – कम – जिला विकास शिक्षा

3 040 / 2010				अधिकारी, मेवात, नुह।	अधिकारी, मेवात, नूह।
920/2011	में	19.03.2015	5000/-	श्री हरिन्दर डींगरा बनाम हुडडा, गुडगांव।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर - 6, पचकूला।
768/2011	में				
2415/2011					
83 /2012	में	19.03.2012	15000 / -	श्री रमेश छाबडा बनाम हुडडा, फरीदाबाद।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर – 6, पचकूला।
4522/2011					
72 / 2012	में	19.03.2012	15000 / -	श्री ओम प्रकाश मिगलानी बनाम श्री	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर-6, पचकूला।
868/2011	में			अरविंदमलहान एसपीआईओ-सह- सम्पदा	
1924/2011				अधिकारी, हुडडा, फरीदावाद।	
74/2012	में	19.03.2012	10000/-	श्री भीम सिंह बनाम श्री अरविंदमलहान	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर-6, पचकूला।
854/2011	में			एसपीआईओ-सह- सम्पदा अधिकारी, हुडडा,	
2630/2011				फरीदावाद।	
80 / 2012	में	19.03.2012	10000/-	श्री महिन्द्र पाल वनाम सम्पदा अधिकारी हुडडा,	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर – 6, पचकूला।
53 4 / 2011	में			फरीदावाद।	
3 22 / 2011	में				
2556/2009					
81 एंव 82/2	012	19.03.2012	15000 / -	श्री विकास कुमार गुप्ता बनाम श्री बी. एस.	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर-6, पचकूला।
में 874/2011	में			काली रमन, एसपीआईओ-सह- सम्पदा	
4039/2011				अधिकारी, हुडडा, फरीदावाद।	
85/2012	में	20.03.2012	5000/-	श्री बलबीर सिंह बनाम हुडडा, गुडगांव।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर-6, पचकूला।
950/2011	में				
3 9 4 5 / 2 0 1 1					
878 / 2011	में	20.03.2012	10000/-	श्री सुरेन्द्र सिंह बनाम हुडडा, रेवाडी।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर – 6, पचकूला।
73 9	एंव			-	-
740/2011	में				
2638/2011					

947 / 2011 में	20.03.2012	10000 / -	श्री ओम प्रकाश बनाम हुडडा, गुडगांव।	डीमड – एस.पी.आई.ओ. – कम – उप मण्डल
43 58 / 2011				इंजिनियर (सर्वे) कार्यालय सपंदा
				अधिकारी – ।।, हुड्डा, गुड़गांव।
65/2012 एंव	20.03.2012	10000 / -	डॉ० यश यादव बनाम हुडडा, रिवाडी।	रू० 6000 ∕ − तब के एस.पी.आई.ओ − कम −
875 / 2011 में				सपंदा अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी
23 86 / 2011				एंव रू० ४००० / – अब के एस.पी.आई.
				ओ-कम- उप अधीक्षक, कार्यालय, सपंदा
				अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी
22 / 2012 में	20.03.2012	3 500 / -	श्री भानू प्रकाश बनाम श्री देश राज,	मुख्य प्रशासक हरियाणा, शहरी विकास
3 542 / 2011			एसपीआईओ-कम- उप-अधीक्षक कार्यालय	प्राधिकरण, सैक्टर – 6, पंचकूला।
			सपंदा अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी।	
5/2012 में	3 0.03 .2012	5000/-	श्री आकाश अग्रवाल बनाम डीमड	मुख्य प्रशासक हरियाणा, शहरी विकास
460/2011			एसपीआईओ- एस.डी.ई, हुडडा, सर्वे, सब	प्राधिकरण, सैक्टर – 6, पंचकूला।
			डीवीजन – ।, गुड़गांव	
948 / 2011 में	20.03.2012	10000 / -	श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा बनाम	मुख्य प्रशासक हरियाणा, शहरी विकास
2795/2011			एसपीआईओ – कम – एक्स.ई.एन,	प्राधिकरण, सैक्टर – 6, पंचकूला।
			डिविजन-।।।, हुड्डा, गुड़गांव	
			(5000 / - रू०) एंव श्री एस.के.राणा, डीमड	
			एस.पी.आई.ओ – कम – एस.डी.ई. (सर्वे)	
			कार्यालय सपंदा अधिकारी-।, हुड्डा, गुड़गांव।	
			(5000 ∕ − ₹0)	
55/2012 में	26.03.2012	10000/-	श्री शक्ति चंद बनाम भूमि अधिग्रहण	एसपीआईओ-सह- भूमि अधिग्रहण, शहरी
3 866 / 2011			अधिकारी, पंचकूला।	सपंदा, हरियाणा, पंचकूला।
कारण बताओ	03.04.2012	5000/-	डप-अधीक्षक कार्यालय सपंदा अधिकारी,	श्री बाहमण देव यादव बनाम सपंदा अधिकारी,
नोटिस 111/2012			हुड्डा, रिवाड़ी।	हुड्डा, रिवाड़ी।
में 2792 / 2011				
कारण बताओ	12.04.2012	5000/-	एक्स.ई.एन, हुड्डा, डिविजन – ।।, हिसार।	श्री एच.एल.मित्तल बनाम एक्स.ई.एन, हुड्डा,

नोटिस 51/2012				ffra u fam u
				डिविजन – ।।, हिसार।
में 3717/2011				
कारण बताओ	01.05.2012	2000/-	श्री महा सिंह बनाम एसपीआईओ-सह- जिला	निदेशक स्कूल शिक्षा।
नोटिस 17 / 2012			प्राथमिक शिक्षा अधिकारी , पानीपत।	
में 3 276 / 2011				
कारण बताओ	01.05.2012	2000/-	श्री महा सिंह बनाम एसपीआईओ-सह- जिला	निदेशक स्कूल शिक्षा।
नोटिस 15 / 2012			प्राथमिक शिक्षा अधिकारी , पानीपत।	
में केस नं0			,	
3 275 / 2011				
कारण बताओ	14.05.2012	2000/-	श्री तायाब बनाम एस.पी.आई.ओ – सह –	उच्च शिक्षा आयुक्त।
नोटिस 121/2012			प्राधानाचार्य, यासीनमियो डीग्री कॉलेज, नूह,	•
में 4648-ए			जिला मेवात।	
कारण बताओ	22.05.2012	1000/-	श्री बीजेन्द्र कुमार बनाम अधीक्षक	निदेशक स्कल शिक्षा।
नोटिस			(अध्यापक – 11) कार्यालय निदेशक, प्राथमिक	
210 / 2012 में			शिक्षा अधिकारी, हरियाणा, पंचकूला।	
3 289 / 2011			interest of the state of the st	
320972011				
कारण बताओ	28.05.2012	10000/-	श्री असीम टकयार बनाम एस.पी.आई.	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर – 6, पचकूला।
नोटिस 578 / 2011	26.05.2012	100007 —		नुस्य प्रशासक हुडडा, सक्टर – ७, पवकूला
			, , ,	
में केस नं0			डिविजन – ।।, गुड़गांव।	
13 29 / 2011				
729 / 2010 में	11.05.2012	2000/-	श्री भगवत प्रसाद बनाम एस.पी.आई.ओ	निदेशक स्कूल शिक्षा।
2063 /2010			कार्यालय निदेशक, स्कूल शिक्षा हरियाणा,	
			शिक्षा सदन, सैक्टर – 5, पंचकूला।	
223 /2012 में	07.06.2012	2000/-	श्री जितेन्द्र पाल सपुत्र श्री कर्मनारायण बनाम	निदेशक स्कूल शिक्षा।
4210 / 2010			एस.पी.आई.ओ – कम – अधीक्षक कार्यालय	-
			निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा,	
	l		<u> </u>	

				शिक्षा सदन, सैक्टर – 5, पंचकूला।	
2158/2012		18.06.2012	1000/-	श्री कांतीप्रसाद बनाम पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) फरीदाबाद।	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
224/2012 3605/2011	में	18.06.2012	1000 / -	श्री अनुपम गोयल बनाम एस.पी.आई. ओ – कम – खण्ड शिक्षा अधिकारी, भिवानी।	महानिदेशक एंव आयुक्त स्कूल शिक्षा हरियाणा, ३० वेज बिलेडिंग, सैक्टर — 17, चण्डीगढ़।
762 / 2011, 763 / 2011 1628 / 2011	में	21.06.2012	15000 / -	,	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण कार्य (जल आपूर्ति एंव सिचांई) वेज 13 – 18, सैक्टर – 4, पंचकूला।
4597/2011		22.06.2012	1000 / -	श्री एस. के. बींदल बनाम एस.पी.आई. ओ – कम – सह – प्राध्यापक, सनातन धर्म महिला महाविद्यालय सोसायटी, हांसी (हिसार)।	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।
1643 /2012		22.06.2012	5000/-	श्री एस. के. बींदल बनाम एस.पी.आई. ओ-कम- सह-प्राध्यापक, सनातन धर्म महिला महाविद्यालय सोसायटी, हांसी (हिसार)।	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।
719 / 2011 1740 / 2010	में	22.06.2012	15000 / -	श्री राम मेहर शर्मा सपुत्र श्री राय सिंह शर्मा बनाम एस.पी.आई.ओ — कम — निदेशक (प्रशिक्षण)कार्यालय महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा।	
188 / 2012 2147 / 2011	में	25.06.2012	5000/-	श्री असीम टकयार बनाम एस.पी.आई. ओ-कार्यालय हरियाणा राज्य औद्योगिक एंव बुनियादे ढांचे विकास निगम लिमि0, प्लाट नं0-सी 13-14, सैक्टर-6, पंचकूला।	हरियाणा राज्य औद्योगिक एंव आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमि0।
172 / 2012 4001 / 2011	में	26.06.2012	25000/-	श्री धर्मवीर सिंह बनाम एस.पी.आई. ओ – कम – रजिस्ट्रार मुत्यु एंव जन्म, कुरूकक्षेत्र।	रजिस्ट्रार मुत्यु एंव जन्म, कुरूक्षेत्र।

```			0 ) 6: 6 ): -0 :	•
147 / 2012 में	03.07.2012	5000/-	श्री सुरेन्द्र सिंह ढिलों बनाम अधीक्षक, संपदा	मुख्य प्रशासक हुडडा, संक्टर – 6, पचकूला।
1092 / 2012			अधिकारी, हुडडा।	
कारण बताओ	03.07.2012	5000/-	श्रीमती धनपती चौधरी बनाम हुडडा, रिवाडी।	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर – 6, पचंकूला।
नोटिस			3.,	
63 / 2012 में				
43 63 /2011				
150 / 2012 में	04.07.2012	10000/-	लै0 कर्नल जे. के. कौशल (रिटा0) बनाम एस.	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर – 6, पर्चकूला।
1147 / 2011			पी.आई.ओ – कम – उप – अधीक्षक (2) – एस.	
			पी.आई.ओ -कम- श्री ऐ. के. मग्ग्, तब के	
			कार्याकारी अभियन्ता, हुड्डा, डी०-॥,	
			गुड़गांव। (3) – एस.पी.आई.ओ – कम –	
			अभियन्ता अधीक्षक, हुड्डा, करनाल। डी०	
			,	
			अभियन्ता (सर्वे), सब – डीवीजन नं० – ।,	
			गुड़गांव। (४)- एस.पी.आई.ओ-कम-	
			सहायक, सैक्टर – 22, गुड़गांव – सभी एस.पी.	
			आई.ओ 2500 / – रू० अदा करेंगें।	
736/2011 में	04.07.2012	5000/-	श्री हेमंत सैनी बनाम जिला बाल कल्याण	मख्य प्रशासक हडडा. सैक्टर - 6. पचंकुला।
23 79 / 2011			अधिकारी, रिवाडी।	, ,
83 / 2012 में	16.07.2012	10000/-	श्री रमेश छाबरा बनाम एस.पी.आई.ओ – कम –	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर - 6, पचंकूला।
	10.07.2012	100007 —	•	नुस्य प्रशासका हुउडा, सक्टर - ७, पवक्रामा
4522 / 2011			अधीक्षक, संपदा अधिकारी, हुडडा, फरीदाबाद।	,
81/2012 एव	16.07.2012	10000 / -	श्री विकास कुमार गुप्ता बनाम एस.पी.आई.	मुख्य प्रशासक हुडडा, सैक्टर – 6, पचंकूला।
82 / 2012 में			ओ-कम-अधीक्षक, संपदा अधिकारी, हुडडा,	
कारण बताओ			फरीदाबाद।	
नोटिस नं0				
874/2011 में				
403 9 / 2011				
4037/2011				

23.07.2012	5000/-	श्री देवी राम शर्मा बनाम सिचांई विभाग।	वार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा,
			सिंचाई भवन, सैक्टर – 5, पंचकूला।
26.07.2012	2000/-	श्री एम.सी शर्मा बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा	निदेशक स्कूल शिक्षा।
		विभाग, हरियाणा।	
23.08.2012	2000/-	श्री एस. के. बिंदल, वकील सनानत धर्म	उच्च स्कूल आयुक्त, हरियाणा, शिक्षा सदन,
		महिला महाविद्यालय, हांसी, हिसार।	सैक्टर – 5, पंचकूला।
23.08.2012	2000/-	श्री एस. के. बिंदल, वकील सनानत धर्म	उच्च स्कूल आयुक्त, हरियाणा, शिक्षा सदन,
		महिला महाविद्यालय, हांसी, हिसार।	सैक्टर – 5, पंचकूला।
23.08.2012	2000/-	श्री एस. के. बिंदल, वकील सनानत धर्म	उच्च स्कूल आयुक्त, हरियाणा, शिक्षा सदन,
		महिला महाविद्यालय, हांसी, हिसार।	सैक्टर - 5, पंचकूला।
3 0.08.2012	2000/-	श्री देवेन्द्र सिंह बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा	निदेशक स्कूल शिक्षा।
		अधिकारी, रिवाड़ी।	
26.10.2012	5000/-	श्रीमती सुशीला देवी बनाम संपदा अधिकारी,	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
		हुडडा, सैक्टर - 01, रिवाडी।	प्राधिकरण, सैक्टर - ७, पचंकूला।
26.10.2012	10000/-	श्री ऐ.पी. नागरथ बनाम हुड्डा, सैक्टर – 56,	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
		गुड़गांव।	प्राधिकरण, सैक्टर - ७, पचंकूला।
26.10.2012	5000/-	श्री कुलदीप सिंह बनाम हुड्डा, सैक्टर-14,	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
		गुड़गांव।	प्राधिकरण, सैक्टर - ६, पचंकूला।
26.10.2012	5000/-	श्रीमती केसर जहान बनाम संपदा	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
		अधिकारी – ।,   हुड्डा, सैक्टर – १४, गुड़गांव।	प्राधिकरण, सैक्टर - ७, पचंकूला।
26.10.2012	15000 / -	श्री हरि ओम बनाम हुड्डा, रिवाड़ी।	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
		-	प्राधिकरण, सैक्टर - ७, पचंकूला।
22.10.2012	5000/-	श्रीमती रजंना यादव बनाम पुलिस अधीक्षक,	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
	26.07.2012  23.08.2012  23.08.2012  3 0.08.2012  26.10.2012  26.10.2012  26.10.2012  26.10.2012	26.07.2012 2000/-  23.08.2012 2000/-  23.08.2012 2000/-  30.08.2012 2000/-  26.10.2012 5000/-  26.10.2012 5000/-  26.10.2012 5000/-  26.10.2012 5000/-	26.07.2012 2000 / - श्री एम.सी शर्मा बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।  23.08.2012 2000 / - श्री एस. के. बिंदल, वकील सनानत धर्म महिला महाविद्यालय, हांसी, हिसार।  23.08.2012 2000 / - श्री एस. के. बिंदल, वकील सनानत धर्म महिला महाविद्यालय, हांसी, हिसार।  23.08.2012 2000 / - श्री एस. के. बिंदल, वकील सनानत धर्म महिला महाविद्यालय, हांसी, हिसार।  30.08.2012 2000 / - श्री देवेन्द्र सिंह बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी।  26.10.2012 5000 / - श्री मती सुशीला देवी बनाम संपदा अधिकारी, हुडडा, सैक्टर – 01, रिवाड़ी।  26.10.2012 10000 / - श्री कुलदीप सिंह बनाम हुड्डा, सैक्टर – 56, गुडुगांव।  26.10.2012 5000 / - श्री कुलदीप सिंह बनाम हुड्डा, सैक्टर – 14, गुडुगांव।  26.10.2012 15000 / - श्री मती केसर जहान बनाम संपदा अधिकारी – 1, हुड्डा, सैक्टर – 14, गुडुगांव।

23 67 / 2012				हिसार।	
501/2012 4446/201	में 1	3 0.10.2012	1000 / -	श्री हरिन्द्र ढ़ीगरा बनाम कार्यकारी अभियन्ता, ओ.पी. डीवीजन सीटी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0, गुड़गांव।	प्रंबध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0, गुड़गांव।
616/2012 2294/2011	में	3 1.10.2012	25000/-	श्री हितेश शर्मा, एस.पी.आई.ओ जिला नगर योजनाकार, पंचकूला, 20000/-रू० एंव श्री जितेन्द्र सिंह, एस.पी.आई.ओ वरि ठ योजनाकार (ई एंव वी), शहर और देश के योजनाकार विभाग, हरियाणा=5000/-	
510 / 2012 2171 / 2012	में	05.11.2012	10000 / -	श्री फतेह सिंह गिल बनाम अधीक्षक अभियन्ता, यमुना जल सेवा चक, सिंचाई विभाग, यमुनानगर।	प्मुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, सिंचाई भवन, सैक्टर – 5, पंचकूला।
845/2011, 928/2011 64/2012 1277/2011	<b>ў</b> а <b>म</b>	05.11.2012	25000/-	(5000 / $-\infty$ 0 सभी को श्री वतसल विशिष्ट, सब $-$ डीवीजनल अधिकारी, (सिविल) पटौदी, एंव श्री मुकेश सोलंकी, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद, एंव श्रीमती कृष्णा गोयल, उप $-$ अधीक्षक अधिकारी, प्रशासक, हुड्डा, एंव एस.पी.आई.ओ $-$ कम $-$ कार्यकारी अभियन्ता, इलैक्ट्रीकल डीवीजन एंव 3000 / $-\infty$ 0 श्री ए. के. मग्गु, अधीक्षक, हुड्डा, चक करनाल एंव 2000 / $-\infty$ 0 एस.पी. आई.ओ $-$ कम $-$ कार्यकारी अभियन्ता, हुड्डा, रिवाड़ी।	
3 40 646 / 2012 शिकायत	एंव में केस	06.11.2012	15000 / -	श्री रणजीत सिंह चावला बनाम श्री सतीश भारद्ववाज, उसके बाद एस.पी.आई.ओ, जिला राजस्व अधिकारी, अम्बाला को लगाया जुर्माना	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास अधिकार, सैक्टर – 6, पंचकूला।

नं0 134/2012			10000 / - रू० एंव श्री एम. एस. सांगवान, एस.	
10 10 47 2012			पी.आई.ओ भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला	
			को जुर्माना 5000 / - रू०	
105 / 2012 में	0 ( 11 0010	05000 /	श्रीमूती शांती देवी बनाम संपदा अधिकारी,	The House aftern and frame
	06.11.2012	25000/-		1 9
473 2 / 2011			हुड्डा, रोहतक।	अधिकार, सैक्टर – ६, पंचकूला।
613 /2012 में	06.11.2012	25000/-	श्री केवल कृष्ण खन्ना बनाम राज्य चौकसी	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
3 688 / 2011			ब्यूरो, हरियाणा (३०००/-रू० एस. पी.आई.	
			ओ-कम-राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला एंव	
			22000 / – रू० एस. पी.आई.ओ – कम – उप	
			जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद)	
776/2011 में	15.11.2012	5000/-	श्री राम नारायण बनाम सचिव, नगर समिति,	निदेशक, शहरी और स्थानीय निकाय,
23 42 / 2010			चीका, तहसील- गुलहा चीका, जिला कैथल,	हरियाणा, एस.सी.ओ - 6 - 7, सैक्टर - 17 बी,
			हरियाणा।	चण्डीगढ।
494/2012 में	20.11.2012	10000 / -	श्री बलविन्द्र सिंह बनाम श्रम आयुक्त,	श्रम आयुक्त, हरियाणा,३० बेज बिल्डिंग,
1225			हरियाणा, चण्डीगढ।	एस.सी.ओ – 82 – 83 , सैक्टर – 17 ,चण्डीगढ।
3 45 / 2012 में	27.11.2012	5000/-	श्रीमती प्रवीन शर्मा बनाम अधीक्षक कार्यालय	श्रम आयुक्त, हरियाणा,३० बेज बिल्डिंग,
4562/2012			श्रम आयुक्त, हरियाणा।	एस.सी.ओ – 82 – 83 , सैक्टर – 17 ,चण्डीगढ।
389/2012 में	29.11.2012	5000/-	श्री राजेश कोकचा बनाम संपदा अधिकारी,	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
183 4 / 2012			हुड्डा, रिवाडी।	प्राधीकरण, सैक्टर – 6, पंचकूला।
630 एंव	3 0.11.2012	10000 / -	<u> </u>	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
148 / 2012 मे			अधिकारी (5000 / – रू० एस. पी.आई.ओ – श्री	9
शिकायत केस			सतीश भारद्ववाज, अब कार्यरत जिला राजस्व	, , ,
नं0 337/2011			अधिकारी, अम्बाला, 5000 / — रू० एस.पी.	
			आई.ओ-कम- भूमि अधिग्रहण अधिकारी,	
			पंचकुला	
641/2012 में	03.12.2012	5000/-	<u> </u>	कृषी विपणन बोर्ड, मंडी भवन, सी-6,
3 184 / 2012	53.12.2012	30007	सहकारी आपूर्ति मार्केटिंग फेडरेशन लि0,	
0.047 ZOIZ			desire of the field of the field,	(146) 0) (Hang)(III

				कुरूकक्षेत्रा। (5000/- श्री विकास देसवाल,	
				एस.पी.आई.ओ – कम – जिला प्रबंधक, हरियाणा	
				राज्य सहकारी आपूर्ति मार्केटिंग फेडरेशन लि0,	
				कुरूकक्षेत्रा। )	
68/2012	में	04.12.2012	6000/-	श्री चरनजीलाल बनाम उप मण्डल अधाकारी,	उप मण्डल अधिकारी(सिविल), पटौदी।
2929/2011				कैथल (6000/-रू० श्री हवा सिंह,एस.पी.	, ,
				आई.ओ—कम— उप मण्डल अधिकारी,	
				कैथल।	
629/2012	में	05.12.2012	5000/-	श्री वीरेन्द्र सिंह, वकील बनाम दक्षिण हरियाणा	प्रबंधक महानिदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली
2404/2012				बिजली वितरण निगम लि०, नारनौल (	वितरण निगम।
				5000 / – रू० श्री रणबीर सिंह,एस.पी.आई.	
				ओ – कम – कार्यकारी अभियंता, ओ.पी	
				डीवीजन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण	
				निगम लि0, नारनौल।	
893 /2011	में	06.12.2013	4000/-	श्री भूपिन्दर पाल सिंह बनाम नायब	उप मण्डल अधिकारी(सिविल), पटौदी।
2249/2011				तहसीलदार, भूना (4000/-रू0 श्री मोहेन्द्र	·
				कुमार को दिए)।	
473 /2012	में	12.12.2012	10000 / -	श्री शीशपाल सिंह बनाम खंड विकास एंव	निदेशक, विकास एंव पंचायत, हरियाणा,
3 129 / 2011				पंचायत अधिकारी, थानेसर, (10000 / - रू०	पंचायत भवन, प्लाट न०-3, सैक्टर-28ए,
				श्री प्रताप सिंह, एस.पी.आई.ओ-कम- खंड	चण्डीगढ।
				विकास एंव पंचायत अधिकारी, थानेसर को	
				दिए)।	
942 / 2011	में	12.12.2012	10000/-	,	निदेशक, विकास एंव पंचायत, हरियाणा,
2942/2011				अधिकारी, थानेसर, जिला- कुरूकक्षेत्र	पंचायत भवन, प्लाट न०-3, सैक्टर-28ए,
				(10000 / - रू० श्री प्रताप सिंह, एस.पी.आई.	
				ओ-कम- खंड विकास एंव पंचायत	
				अधिकारी, थानेसर को दिए) ।	
L			l.	,	

19 एंव 20/2012	12.12.2012	5000/-	श्री राम किशन बनाम जिला विकास एंव	निदेशक, विकास एंव पंचायत, हरियाणा,
में 03 41/2011	.2.12.2012	30007		पंचायत भवन, प्लाट न0-3, सैक्टर-28ए,
			श्री जग राम मान, एस.पी.आई.ओ – कम –	
			जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी,	
			यम्नानगर को दिए)।	
156/2012 में	17.12.2012	75000/-	श्री हेमन्त सिंह बनाम उप अधिक्षक अधिकारी,	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
3 3 17 / 2010			संपदा अधिकारी, रिवाडी।	प्राधीकरण, सैक्टर – ६, पंचकूला।
469/2012 में	17.12.2012	7500/-	श्री बी. के. साहनी बनाम कार्यकारी अभियंता,	मुख्य प्रशासक, हरियाणा, शहरी विकास
शिकायत केस			हुड्डा, डीवीजन-2, गुडगांव(7500/- रू०	प्राधीकरण, सैक्टर – ६, पंचकूला।
नं0 25/2012 में			प्रत्येक श्री ए. के. मक्खन, एस.पी.आई.	
3 023 /2011			ओ-कम- कार्यकारी अभियंता, हुड्डा,	
			डीवीजन-2, गुडगांव एंव श्री अकमत राठी,	
			सब प्रभागीय अभियंता, हुड्डा,सब	
			डीवीजन-७, गुडगांव ।	
157/2012 में	20.12.2012	25000/-	श्री कुलदीप सिंह बनाम उप-निदेशक, मत्स्य	मत्स्य पालन विभाग।
3834/2011			पालन विभाग, हरियाणा, गुड़गांव।	
			(25000 / – रू० श्री सी. डी. यादव, एस.पी.आई.	
			ओ-कम- उप-निदेशक, मत्स्य पालन	
			विभाग, हरियाणा, गुड़गांव।)	
736/2012 में	21.12.2012	2000/-	श्रीमती नीलम मोहन बनाम जिला रेड कास	जिला रेड कास सोसायटी, नारनौल।
2996/2012			सोसायटी। (2000/- श्री बलवान सिंह बनाम	
			एस.पी.आई.ओ-कम- सचिव, जिला रेड कास	
			सोसायटी, अम्बाला)।	

अनुबंध – 'ड़'
कर्मचारियों की सूची जिनके विरूद्ध आयोग ने अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए 1-1-2012 से 31-12-2012 के दौरान सिफारिश की ।

केस संख्या	नाम / विभाग	निर्णय की तिथि	दोषी कर्मचारियों की संख्या	जन सूचना अधिकारी का नाम
876 / 2011 मे 4099 / 2011	श्री जय प्रकाश मावी बनाम हुड्डा, फरीदाबाद।	09/02/2012	1	मुख्य प्रशासक, हुडडा, पंचकूला।
4514/2011	श्री हरिन्द्र ढींगरा बनाम हुड्डा, गुड़गांव।	10/02/2012	1	मुख्य प्रशासक, हुडडा, पंचकूला।
899 / 2011 मे 3 91 / 2011	श्री अशीश नारंग बनाम हुड्डा, गुड़गांव	10/02/2012	जिम्मेदारी तय होने के लिये	मुख्य प्रशासक, हुडडा, पंचकूला।
921/2011 में 43 49/2011	श्रीमती चंचल कपूर बनाम हुड्डा, गुड़गांव।	10/02/2012	जिम्मेदारी तय होने के लिये	मुख्य प्रशासक, हुडडा, पंचकूला।
84/2012 में 534/2011 में 4364/2011	श्री इन्द्रजीत गोयल बनाम हुड्डा, फरीदाबाद।	19/03/2012	1	श्री बी. एस. काली रमन उसके बाद एस.पी. आई.ओ – कम – सपंदा अधिकारी, हुड्डा, फरीदाबाद।

85 / 2012 में 950 / 2011 में 3 945 / 2011	श्री बलबीर सिंह बनाम हुड्डा, गुड़गांव।	20/03/2012	2	श्री रमेश सैनी, सर्वेक्षण शाखा तथा श्री विश्व कुमार, लिपिक।
937/2011 एंव 738/2011 में 2791/2011	श्री देवेन्द्र कुमार बनाम हुड्डा, गुड़गांव।	20/03/2012	1	श्री रमेश सैनी, सर्वेक्षण शाखा ।
954/2011 में 2787/2011	श्री अशोक कुमार ढींघरा बनाम हुड्डा, गुड़गांव।	20/03/2012	2	एस.पी.आई.ओ – कम – संपदा अधिकारी – ।।, हुड्डा, गुड़गांव।
13 48 / 2012	श्री राजेश शर्मा, वकील बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुड़गांव।	16/04/2012	2	अतिरिक्त निदेशक (शहरी संपदा), हरियाणा, पंचकूला।
कारण बताओ नोटिस नं0 53 /2012 में 2787/2011	श्रीमती केसर जहांन बनाम संपदा अधिकारी-।, हुड्डा, गुड़गांव।	16/05/2012	1	मुख्य प्रशासक, हुड्डा, पंचकूला।
3 3 /2012	श्री गौरव कुमार बनाम अधीक्षक प्रशासनीक सुधार विभाग।	19/06/2012	1	मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, हरियाणा।

221/2012 में 4812/2011	श्री खेम चंद बनाम पुलिस अधीक्षक, भिवानी	03 /10 /2012	1	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
	श्री रमेश वर्मा बनाम संपदा अधिकारी – ।।, हुड्डा, गुड़गांव।	19/11/2012	1	मुख्य प्रशासक, हुड्डा, पंचकूला।
	श्री मनोज तिवारी बनाम उप-अधीक्षक, कार्यालय, संपदा अधिकारी-॥, हुड्डा, सैक्टर-56, गुड़गांव।	11/12/2012	1	मुख्य प्रशासक, हुड्डा, पंचकूला।

अनुबंध – 'च'

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत धारा 19 (8)(बी) राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को दिये गये मुआवज़े का विवरण अविध 1-1-2012 से 31-12-2012

केस नं0	ओदश की तिथि	मुआवजे की राशि	पक्षों का विवरण
2225/2011	23.11.2011	5000/-	श्री रंजीत सिंह बनाम उपायुक्त, रिवाडी।
2752 / 2011	29.11.2011	5000/-	श्री अत्तर सिंह दलाल बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 275 / 2011	07.12.2011	2000 / -	श्री महा सिंह बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
3 276 / 2011	07.12.2011	2000/-	श्री महा सिंह बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
3 568 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री राम निवास बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 570 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्रीमती लीला बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 571 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री रघुबीर बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 561 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री सतबीर बनाम उपायुक्त, झज्जर।

3 562 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री जगदीश बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 567 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री नरेश बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 564 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री सुरते बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 566 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री नरेश बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 569 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री बलजीत बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 572 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री भानेराम बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 573 /2011	03.01.2012	2000/-	श्री हरदेव बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 563 /2011	03.01.2012	2000/-	श्री कृष्ण बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 565 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री मनफूल बनाम उपायुक्त, झज्जर।
3 574 / 2011	03.01.2012	2000/-	श्री महेन्द्र बनाम उपायुक्त, झज्जर।
283 5 / 2011	04.01.2012	1000 / -	श्री अहम्मद जन बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3 3 66 / 2011	10.01.2012	1000 / -	श्रीमती मूर्ती देवी बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0, रोहतक।

3 204 / 2011	10.01.2012	500/-	श्री रमेश चन्द्र सहगल बनाम खाद्य एंव आपूर्ति विभाग।
606 / 2011 में 2796 / 2011	12.01.2012	1000 / -	श्री सुरवदेव सिंह बनाम शहरी सम्पदा, हरियाणा, पंचकूला।
3 3 76 / 2011	13.01.2012	500 / -	श्री राजिन्द्र सिंह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3 3 58 / 2011	18.01.2012	700 / -	श्री गोपी चन्द बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
213 एंव 214/2011 में 323/2010	3 0.01.2012	2000 / -	श्री जतीन्द्र सिंह बनाम हुड्डा, करनाल।
642 / 2011 में 183 7 / 2011	3 1.01.2012	2000 / -	श्री केवल के खन्ना बनाम उप निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा।
823 /2011 में 3 3 40 /2011	02.02.2012	2000 / -	श्री रविन्द्र नाथ बनाम भूमी अधिग्रहण अधिकारी, शहरी सम्पदा, हरियाणा, पंचकूला।
4496/2011	06.02.2012	3 000 / -	श्री ओम प्रकाश मदान बनाम हुड्डा, हिसार।
4498 / 2011	06.02.2012	1000 / -	श्री जीत राम बनाम उप अधिक्षक, सम्पदा अधिकारी, हुड्डा, हिसार।
4726 / 2011	10.02.2012	2000/-	श्री रमाकान्त रोहिला बनाम सम्पदा अधिकारी – ।, हुड्डा, गुड़गांव।
4514 / 2011	10.02.2012	2000/-	श्री हरिन्द्र ढींगरा बनाम सम्पदा अधिकारी – ।।, हुड्डा, गुड़गांव।

43 63 /2011	10.02.2012	2000/-	श्रीमती धनपती चौधरी बनाम सम्पदा अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी।
23 3 1 / 2011	10.02.2012	2000/-	श्री ढल्लु राम बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा।
4507/2011	14.02.2012	1000 / -	श्री आनन्द कुमार बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हुड्डा काम्पलेक्स, सैक्टर – 12, फरीदाबाद।
3 166 / 2011	21.02.2012	1000 / -	श्री राजेश कुमार बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर।
1821/2011	22.02.2012	500/-	श्री राम मेहर बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
183 5 / 2011	22.02.2012	500/-	श्री रजिन्द्र सिंह बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा।
3 646 / 2011	23.02.2012	2000/-	श्री राज सिंह बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
473 2 / 2011	27.02.2012	1000 / -	श्रीमती शांती देवी बनाम हुड्डा, रोहतक।
कारण बताओ नोटिस नं0 3 3 0 / 2012 में 4729 / 2011	27.02.2012	2000 / -	मे0 नेकी राम शर्मा बनाम हुड्डा, हिसार।
3 028 / 2010	20.10.2010	500/-	श्री कृष्ण सिहाग बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ।
17/2011,	01.03.2012	500/-	श्री जगदीश प्रसाद कौशिक बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा,

18 / 2011 में			चण्डीगढ।
3 013 /2010			
1782 / 2011	02.03.2012	1000/-	श्री हरिओम बनाम एफ.सी. एंव पी.एस, हरियाणा सरकार, शिक्षा
			विभाग।
4889/2011	07.03.2012	1000/-	श्री महावीर सिंह बनाम परिवहन आयुक्त, हरियाणा,चण्डीगढ।
4879 / 2011	15.03.2012	5000/-	श्री ओम प्रकाश कादियान बनाम हुड्डा, पंचकूला।
3 940 / 2011	20.03.2012	2000/-	श्री किशोरी लाल बनाम उप आबकारी एंव कराधान, नारनौल, जिला
			महेन्द्रगढ।
1092/2012	20.03.2012	2000/-	श्री सुरेन्द्र सिंह ढिल्लों बनाम हुड्डा, रिवाडी।
4877 / 2011	20.03.2012	2000/-	श्रीमती राखी देवी बनाम हुड्डा, रिवाडी।
24/2012 में	20.03.2012	3 000 / -	श्री राजेन्द्र राठी बनाम सम्पदा अधिकारी – । एंव ।।, हुड्डा, गुड़गांव
2173 /2011			एंव मुख्य प्रशासक, हुड्डा, पंचकूला।
203 5 / 2011	21.03.2012	2000/-	श्री राजेन्द्र कुमार बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा,
			सैक्टर — 5 ,पंचकूला।
1523 /2010	21.03.2012	3 000 / -	श्री जिले सिंह मेहरा, प्रशासकीय अधिकारी बनाम निदेशक, स्कूल

			शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3 853 /2011	22.03.2012	1000/-	श्री तेज भान बनाम महानिदेशक, स्वास्थय सेवाएं, हरियाणा, सैक्टर-6, पंचकूला।
3 168 / 2011	28.03.2012	1000 / -	श्री राजेश कुमार बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3 772 — ए	29.03.2012	500/-	श्री सतीश कुमार बनाम उच्चतर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट,
			पंचकूला
3 772 – बी	29.03.2012	1000 / -	श्री सतीश कुमार बनाम उच्चतर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट,
			पंचकूला।
43 79 / 2011	14.07.2011	2000/-	श्री हेमन्त सैनी बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, रिवाड़ी।
2806/2010	16.08.2011	2000/-	श्री आर. एल. अरोरा बनाम हुड्डा, पंचकूला।
2093 /2011	20.09.2011	5000/-	श्री विवेक शर्मा बनाम उप रिजस्ट्रार, कुरूक्षेत्र, विश्वविद्यालय।
2792 / 2011	04.10.2011	2000/-	श्री बहम देव यादव बनाम सम्पदा अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी।
कारण बताओ	02.04.2012	3 000 / -	श्री अश्वनी कुमार बनाम सम्पदा अधिकारी, हुड्डा, पानीपत।
नोटिस नं0			
933 / 2011 में			

1796/2011			
कारण बताओ नोटिस नं0 721/2011 में 133/2011	03.04.2012	5000 / -	श्री तारा सिंह बनाम निदेशक, चकबन्दी, हरियाणा, चण्डीगढ़।
1607/2011	03.04.2012	5000/-	श्री राजीव कुमार बनाम प्रधानाचार्य, कुरूक्षेत्र शिक्षा महाविद्यालय, घुराला।
1212/2012	10.04.2012	1000/-	श्री इंदर सिंह बनाम महानिदेशक राज्य, परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
429/2011	10.04.2012	1000/-	श्री सुरेश गोयल बनाम बी.पी.एस, महिला विश्व विद्यालय, खानपुर कंला, सोनीपत।
428/2011	10.04.2012	1000 / -	श्री सुरेश गोयल बनाम महिला विश्व विद्यालय, खानपुर कंला, सोनीपत।
430/2011	10.04.2012	1000/-	श्री सुरेश गोयल बनाम बी.पी.एस, महिला विश्व विद्यालय, खानपुर कंला, सोनीपत।
427/2011	10.04.2012	1000 / -	श्री सुरेश गोयल बनाम बी.पी.एस, महिला विश्व विद्यालय, खानपुर

			कंला, सोनीपत।
1284/2012	11.04.2012	500/-	श्री राम कंवर बनाम आई.जी. पी., पंचकूला।
1198/2012	16.04.2012	2000/-	श्री प्रेम कुमार बनाम सम्पदा अधिकारी – ।।, हुड्डा, गुड़गांव।
कारण बताओ नोटिस नं0 27/2012 में 2298/2011	16.04.2012	3 000 / -	श्री जे. बी. हुडडा बनाम सम्पदा अधिकारी – ।, हुड्डा, गुड़गांव।
कारण बताओ नोटिस नं0 76/2012 में 3867/2011	16.04.2012	3 000 / -	श्री राजवीर सिंह बनाम सम्पदा अधिकारी – ॥, हुड्डा, गुड़गांव।
कारण बताओ नोटिस नं0 5420/2012 में 2082/2011	16.04.2012	2000/-	श्री कंवर सिंह बनाम कार्यकारी अभियन्ता, हुड्डा डवीजन – IV, गुड़गांव।
2812/2011	17.04.2012	500/-	श्री फूल सिंह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
कारण बताओ नोटिस नं0	24.04.2012	600/-	श्रीमती शांती देवी गुप्ता बनाम सिटी मजिस्ट्रेट, एन.एन.एल।

718 / 2011 में			
1491/2011			
2536/2011	24.04.2012	600/-	श्री भूप सिंह बगंहेल बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
13 51 / 2012	25.04.2012	1000 / -	श्रीमती आशा देवी बनाम सम्पदा अधिकारी, हुड्डा, पंचकूला।
3 986 / 2012	3 0.04.2012	2000/-	श्री दिनेश कुमार बनाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचकूला।
3 808 / 2011	02.05.2012	1000/-	श्री पना लाल बनाम प्रभागीय वन अधिकारी, महेन्द्रगढ़।
कारण बताओ	03.05.2012	1000 / -	श्री आर. के. अग्रवाल बनाम सम्पदा अधिकारी, हुड्डा, पंचकूला।
नोटिस नं0			
900 / 2011 में			
3 742 / 2011			
2867/2012	04.05.2012	2000/-	श्री मोहिन्दर कुमार बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा।
23 69 / 2011	04.05.2012	2000/-	श्री धुल चंद लीघा बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
कारण बताओ	15.05.2012	5000/-	श्री दलबीर सिंह बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, भिवानी।
नोटिस नं0			
882 / 2011 में			

2918 / 2011			
शिकायत केस नं0 3 99 / 2011	17.05.2012	500/-	श्री रविन्द्र कुमार बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3 843 /2011	17.05.2012	500/-	श्रीमती श्यामो बनाम तहसीलदार, बहादुरगढ़, जिला झज्जर।
43 46 / 2011	17.05.2012	2000/-	श्री ओ. पी मील बनाम अधिशाषी अभियंता, अनुसंधान।
1516 / 2012	17.05.2012	2000/-	श्री विनोद कुमार बनाम मुख्य प्रशासक, हुड्डा, पंचकूला।
3 891 / 2011	17.05.2012	500/-	श्री सुरज भान बनाम तहसीलदार, बहादुरगढ़, जिला झज्जर।
कारण बताओ नोटिस नं0 223 /2012 में 4210 /2011	18.05.2012	500/-	श्री जीतेन्द्र पाल सपुत्र श्री कर्म नारायन बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर – 5, पंचकूला।
1255/2012	18.05.2012	500/-	श्री विजेय वीनर सपुत्र श्री वेद प्रकाश बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
शिकायत केस नं0 6920/2012	21.05.2012	1000 / -	श्री प्रेम सिंह सपुत्र श्री होशियार सिंह बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जींद।

कारण बताओ नोटिस नं0 832/2011 में 1725/2011	22.05.2012	5000 / -	श्री मनीश कुमार बनाम सिटी मजिस्ट्रेट, महेन्द्रगढ़।
कारण बताओ नोटिस नं0 858/2011 में 1730/2011	22.05.2012	5000 / -	श्री राम चंद्र बनाम सिटी मजिस्ट्रेट, महेन्द्रगढ़।
1188/2012	23.05.2012	1000 / -	श्री हरीश चंद्र बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, रोहतक।
शिकायत केस नं0 89 / 2012 में 4162 / 2011	25.05.2012	5000/-	श्री संदीप पंवार बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला।
4181/2011	25.05.2012	5000/-	श्री आर. के. मित्तल बनाम लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), काम्पलैक्स, चण्डीगढ़।
कारण बताओ नोटिस नं0 3 43 /2010 में 1590/2010	28.05.2012	2000 / -	श्री प्रदीप कुमार शर्मा बनाम पुलिस महानिरीक्षक (कर्मियों), हरियाणा।

1617 / 2012	28.05.2012	2000/-	श्री महेश कुमार बनाम संपदा अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी।
1607/2012	28.05.2012	2000/-	श्री प्रेमलता सोनी बनाम संपदा अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी।
कारण बताओ नोटिस नं0 30/2012 में 3141/2011	28.05.2012	2000 / -	श्री हरमीत सिंह बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, फरीदाबाद।
कारण बताओ नोटिस नं0 91/97/2012 में 3 928/2011	29.05.2012	1000 / -	श्री सतींद्र कुमार बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, लाडवा।
कारण बताओ नोटिस नं0 74/2012 में 3217/2011	3 0.05.2012	5000/-	श्री कंवल पाल सिंह बनाम हरियाणा जिला औद्योगिक एंव बुनियादी विकास निगम, पंचकूला।
3 883 /2011	3 1.05.2012	1000 / -	श्री महावीर सिंह बनाम निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3 823 /2011	3 1.05.2012	1000 / -	श्री महावीर सिंह बनाम नगर परिषद, कुरूक्षेत्र।
2170 / 2012	01.06.2012	1000 / -	श्री सुनील सपुत्र श्री राजमल बनाम जिला खाद्य एंव आपूर्ति

			अधिकारी, हिसार।
3 897 / 2011	01.06.2012	1000 / -	डा० रामफल शास्त्री बनाम सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग।
3 922 / 2011	06.06.2012	2000/-	श्री एस. पी. जैन बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर – 5, पंचकूला।
कारण बताओ नोटिस नं0 223 /2012 में 4210 /2011	07.06.2012	500/-	श्री जतीन्द्र पाल सपुत्र श्री कर्मनारायन बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर – 5, पंचकूला।
81/2012	11.06.2012	2000/-	श्री विकास गुप्ता बनाम मुख्य प्रशासक, हुड्डा, सैक्टर-6, पंचकूला।
3 978 / 2011	12.06.2012	1000 / -	श्री हरीश खन्ना बनाम सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, फरीदाबाद।
1703 /2012	14.06.2012	1000 / -	कुमारी रामा देवी पत्नी श्री हुकुम चंद बनाम प्रभागीय वन अधिकारी, महेन्द्रगढ़।
4176/2011	14.06.2012	1000 / -	श्री सतीश शर्मा बनाम वित विभाग, चण्डीगढ़।
1768 / 2012	18.06.2012	1000 / -	श्री राम कुमार बनाम सिविल सर्जन, सिरसा।

1767 / 2012	18.06.2012	1000 / -	श्रीमती मूर्ति पत्नी स्वर्गीय श्री हुकुम चंद बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल।
506 / 2011 में 2214 / 2011	21.06.2012	2000 / -	श्री सत्य नारायण बनाम जिला समाज कल्याण, सोनीपत।
1750/2012	26.06.2012	500/-	श्री राम सिंह बनाम लेखाधिकारी हरियाणा रोडवेज, जी. टी. बी. नगर, दिल्ली।
2484/2011	15.06.2012	500/-	कुमारी नीतू बनाम सचिव हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला।
2486/2011	15.06.2012	500/-	कुमारी नीतू बनाम सचिव हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला।
3 882 / 2011	20.06.2012	2000/-	श्री ओम प्रकाश बनाम व्यवसायिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
4 / 2012 में	22.06.2012	1000 / -	श्री विरेन्द्र सिंह बनाम अधीक्षक (गुप्त शाखा), हरियाणा कर्मचारी
2904/2011			चयन आयोग, पंचकूला।
2251/2012	25.06.2012	1000 / -	श्री सचीन चौकर बनाम अभिनय प्राधानाचार्य, गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालंखा (पानीपत)।
4050/2011	27.06.2012	1200 / -	श्री आर. के शर्मा बनाम जन कार्य विभाग (बी एंड आर)

			कम्पलैक्स, चण्डीगढ़।
145 / 2012 में 469 / 2011	02.07.2012	2000/-	श्री चेत राम बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, होडल।
4156/2011	03.07.2012	1000 / -	श्री खजान सिंह हाडा बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमि0, झज्जर।
1537/2012	03.07.2012	1000 / -	श्रीमती संत्रा बनाम वन विभाग।
1536/2012	03.07.2012	1000 / -	श्रीमती लक्ष्मी बनाम वन विभाग।
4154/2011	03.07.2012	1000 / -	श्री महेन्द्र सिंह दहिया बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला।
1846/2012	03.07.2012	2000/-	श्री सुरेन्द्र सिंह ढिल्लों, वकील बनाम हुड्डा, रिवाड़ी।
23 , 79 / 2012 , 152 / 2012 , कारण बताओ नोटिस नं0 714 / 2011 में 1181 / 2011	03.07.2012	2500/-	मे० महाबीर प्रसाद बनाम जिला के शहर योजनाकार एंव भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुड़गांव।
1820/2012	03.07.2012	2000/-	श्री धीरेन्द्र सिंह बनाम हुड्डा, रिवाड़ी।

155/2012	03.07.2012	2000/-	श्री दिनेश कुमार बनाम हुड्डा, रिवाड़ी।
1941/2012	03.07.2012	1000 / -	श्रीमती प्रेमलता सोनी बनाम अधीक्षक, संपदा अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी।
1817 / 2012	03.07.2012	2000/-	श्री भ्रम दत्त बनाम हुड्डा, फरीदाबाद।
1911 / 2012	04.07.2012	2000 / -	श्री राम प्रताप बनाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, डिविजन – ।, रिवाड़ी।
1919 / 2012	04.07.2012	2000/-	श्री उमराओ सिंह बनाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रिवाड़ी।
43 9 / 2011	04.07.2012	1000 / -	श्री मनीश कुमार बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, पलवल।
3736/2011 में कारण बताओ नोटिस नं0 8/2012	05.07.2012	2000 / -	श्री दिनेश सिंघल बनाम उप-निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4240 / 2011	05.07.2012	500/-	श्री वीरेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
183 2 / 2012	06.07.2012	500/-	श्री राजेश शर्मा बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला।

1907/2012	17.07.2012	1000 / -	श्री मलकीयत सिंह बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला।
1068 / 2012	19.07.2012	500/-	श्री कृष्ण कांत सपुत्र श्री देस राज बनाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
148/2012 में शिकायत केस नं0	19.07.2012	10000/-	श्री संत सिंह, वकील बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला।
3 3 7 / 2011			
2053 / 2012	16.07.2012	1000 / -	श्री अब्दुल गानी बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, मेवात।
4418 / 2011	19.07.2012	1000 / -	श्री सवर्ण सिंह बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, अटेली
			नंगल, जिला महेन्द्रगढ़।
1069/2012	19.07.2012	1000 / -	श्री संजय कुमार बनाम जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी।
446 / 2011 में 1088 / 2011	20.07.2012	500/-	कुमारी मिनाक्षी बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1258 / 2012	24.07.2012	600/-	श्री जसबीर सिंह बनाम उप मण्डल अधिकारी, टोहाना, फतेहाबाद।
143 /2012 में 413 2 /2011	3 1.07.2012	1000 / -	श्री दिप्पा राम बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, पलवल।
1222/2012	3 1.07.2012	1000 / -	श्री रवीन्द्र सपुत्र श्री राम परिवार बनाम तहसीलदार, साहलवास,

			झज्जर।
4539/2011	01.08.2012	1000 / -	श्री बजरंग प्रजापत बनाम निदेश्सक स्कूल शिक्षा, शिक्षा सदन,
			सैक्टर - 5, पंचकूला।
157/2012 में	01.08.2012	1000 / -	श्री कुलदीप सिंह बनाम उप-निदेशक, मत्स्य पालन विभाग,
3 83 4 / 2011			हरियाणा, गुड़गांव।
2903 /2011	02.08.2012	5000/-	श्री प्रेम सिंह बनाम वन विभाग, सैक्टर-6, पंचकूला।
3 101 / 2011	03.08.2012	1500 / -	श्री राजेश कुमार बनाम एफ. सी एंव पी. एस हरियाणा सरकार,
			माध्यमिक शिक्षा, चण्डीगढ़।
1073 /2012	08.08.2012	1000/-	श्री दिवान चंद बनाम तहसीलदार पुंडरी, कैथल।
4545/2011	09.08.2012	1000 / -	श्री संजय यादव बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, सैक्टर – 2,
			पंचकूला।
1066/2012	09.08.2012	1000/-	श्री भूत राम बनाम उपायुक्त, महेन्द्रगढ़।
10 / 2012 में	09.08.2012	1500/-	श्री महेश चंद दिवादी बनाम संयुक्त आयुक्त, नगर निगम,
2061/2011			फरीदाबाद।
3 27 / 2012 में	09.08.2012	2000/-	श्री संतोष कुमार गुप्ता बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, जींद।

113 8 / 2012			
211 / 2012 में 1650 / 2012	13.08.2012	1000 / -	श्री नरीन्द्र सिंह बनाम डिप्टी सिविल सर्जन, कैथल।
कारण बताओ नेाटिस नं0 180/2012 में 1255/2011	16.08.2012	2000/-	श्री भरत गोयल बनाम जिला नगर योजनाकार कार्यालय, महानिदेशक टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2690/2012	16.08.2012	3 000 / -	श्री ओम प्रकाश शर्मा बनाम निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
कारण बताओ नोटिस नं0 167/2012 में शिकायत केस नं0 456/2011 में 2274/2010	21.08.2012	2000 / -	श्री कैसर जहान बनाम उप-अधीक्षक, हुड्डा, सैक्टर- 14ए गुड़गांव।
1712 / 2012	21.08.2012	1000 / -	श्री भीशंभर दयाल बनाम उपायुक्त, रिवाड़ी।
863 /2011 में 23 99 /2010	22.08.2012	15000 / -	श्री बिजेन्द्र कुमार जैन बनाम कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम परिषद, जगाधरी।

2540/2012	22.08.2012	500/-	श्रीमती कमला बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
2497/2012	22.08.2012	500/-	श्री सिंह राज बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
2538/2012	22.08.2012	500/-	श्री प्रवीन कुमार बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
2496/2012	22.08.2012	500/-	श्री रमेश कुमार बनाम वन संरक्षक, महेन्द्रगढ़।
3 3 28 / 2012	22.08.2012	500/-	श्री बलवंत बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
1523 / 2012	22.08.2012	500/-	श्री रणधीर बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
3 2 4 5 / 2 0 1 2	22.08.2012	500/-	श्री दलीप कुमार बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
153 2 / 2012	22.08.2012	500/-	श्रीमती केला बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
1526/2012	22.08.2012	500/-	श्रीमती अगुंरी बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
3 2 4 9 / 2 0 1 2	22.08.2012	500/-	श्रीमती लली बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
2511/2012	22.08.2012	500/-	श्री उदय राम बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
153 8 / 2012	22.08.2012	500/-	श्रीमती रामबल बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
2509/2012	22.08.2012	500/-	श्रीमती बिमला बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।

1528 / 2012	22.08.2012	500/-	श्रीमती कलावत बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
253 9 / 2012	22.08.2012	500/-	श्री अमर सिंह बनाम वन विभाग, महेन्द्रगढ़।
2118 / 2012	23.08.2012	2000/-	श्री मनोज कुमार बनाम उप-अधीक्षक, संपदा अधिकारी-॥, हुड्डा।
2208/2012	24.08.2012	1000 / -	श्री ओ. पी. मदान बनाम उप-अधीक्षक, संपदा अधिकारी, हुड्डा, सैक्टर-13, हिसार।
कारण बताओ नेाटिस नं0 113 /2012 में 4037/2011	27.08.2012	5000/-	श्री सुरीन्द्र कुमार बनाम संपदा अधिकारी, हुड्डा, कैथल।
कारण बताओ नेाटिस नं0 683 /2011 में 233 /2011	28.08.2012	10000 / -	श्री सत पाल बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, अटेली नंगल, जिला महेन्द्रगढ़।
शिकायत केस नं0 91/2012	3 0.08.2012	1000 / -	श्री ठाकुर लाल बनाम ई. एस. आई. अस्पताल, एन. एच-3, एन. आई.टी, फरीदाबाद।
23 07 / 2012	3 0.08.2012	1000 / -	श्री राम फल राठी बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, राय, जिला सोनीपत।

2419/2012	04.09.2012	2000 / -	श्री पी. पी. कपूर बनाम अधीक्षक, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4640 / 2011	04.09.2012	1000 / -	श्री सत्या नारायण गुप्ता बनाम तहसीलदार, अम्बाला।
23 96 / 2012	05.09.2012	1000 / -	श्री प्रमोद कुमार बनाम निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, 30 वेज बिल्डींग, सैक्टर – 17, चण्डीगढ़।
123 6 / 2012	06.09.2012	1000 / -	श्री प्रेम पाल बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, बहादुरगढ़, जिला- झज्जर।
1237/2012	06.09.2012	1000 / -	श्री प्रेम पाल बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, बहादुरगढ़, जिला- झज्जर।
1238/2012	06.09.2012	1000 / -	श्री प्रेम पाल बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, बहादुरगढ़, जिला- झज्जर।
123 9 / 2012	06.09.2012	1000 / -	श्री प्रेम पाल बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, बहादुरगढ़, जिला- झज्जर।
1840/2012	06.09.2012	1000 / -	श्री निर्मल खुलर बनाम उप-अधीक्षक, संपदा अधिकारी, हुड्डा, सैक्टर-13, हिसार।

2108/2012	06.09.2012	2000/-	श्री सुधीर कुमार सेन बनाम अधीक्षक, संपदा अधिकारी, हुड्डा, सिरसा।
3 658 / 2012	10.09.2012	1000 / -	श्री दलबीर चंद बनाम सचिव, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, एस.सी.ओ. नं० 6-7, सैक्टर - 17 बी, चण्डीगढ़।
4802 / 2011	12.09.2012	500/-	श्री देवेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
13 09 / 2012	13.09.2012	2000/-	श्री हुकुम चंद भारदवाज बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल।
कारण बताओ नोटिस नं0 170 / 2012 में 1153 / 2012	29.03.2012	2000 / -	श्री अशोक कुमार बनाम संपदा भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सैक्टर – 8, पंचकूला।
3 554 / 2012	04.10.2012	1000 / -	श्रीमती शांती देवी बनाम हुड्डा, हिसार।
515 / 2012 में 403 6 / 2011	04.10.2012	1000 / -	श्री सत्या नारायण बनाम निदेशक नगर योजनाकार, जींद।
23 61/2012	04.10.2012	1000/-	श्री ओ. पी. मदान बनाम हुड्डा, हिसार।
3 416 / 2012	08.10.2012	500/-	श्री श्री कृष्ण बनाम निदेशक प्रांरिभक शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर – 5, पंचकूला।

1882 / 2012	09.10.2012	1000 / -	श्री रमेश छाबड़ा बनाम संयुक्त आयुक्त (टी), नगर निगम, फरीदाबाद।
4601/2011	09.10.2012	290/-	श्री जय भगवान बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
43 01 / 2011	10.10.2012	1500 / -	श्री बलजीत बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3 625 / 2011	10.10.2012	2000/-	श्री भूपिन्द्र शर्मा बनाम हरियाणा राज्य उद्योगिक एंव बुनियादे ढांचे विकास निगम, पंचकूला।
1875 / 2012	10.10.2012	1000 / -	श्री सुरीन्द्र कुमार बनाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
43 01 / 2011	10.10.2012	1500 / -	श्री बलीजीत बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
2526/2012	18.10.2012	300/-	श्री मान सिंह बनाम सहकारिता मंत्री के निजी सहायक, हरियाणा।
4287/2011	18.10.2012	1000 / -	श्री बलबीर सिंह बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला।
2603 /2011	19.10.2012	500/-	श्री नरेश कुमार बनाम सचिव, नगर परिषद, भिवानी।
4254/2011	19.10.2012	1000 / -	श्री जगदीश प्रसाद बनाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

405 / 2012 में 1857 / 2011	26.10.2012	2000 / -	श्री प्रमोद कुमार बनाम अधीक्षक, हुड्डा, सैक्टर – 14, रिवाड़ी।
1101/2012	3 0.10.2012	1000/-	श्री उदमी राम बनाम वन विभाग, पंचकूला।
1102 / 2012	3 0.10.2012	1000/-	श्री उदमी राम बनाम वन विभाग, पंचकूला।
2516/2012	3 0.10.2012	1000/-	श्री अनिल असीजा बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
1100/2012	3 0.10.2012	2000/-	श्री संजीव कुमार बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकूला।
23 62 / 2012	05.11.2012	1000 / -	श्री मदन लाल मक्कर बनाम सहायक संपदा अधिकारी कार्यलय, संपदा अधिकारी, हुड्डा, सैक्टर – ७, पंचकूला।
कारण बताओ नेाटिस नं0 577 / 2012 में 88 / 2012	06.11.2012	3 000 / -	श्री ईश्वर सिंह छत्तर बनाम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जींद।
1027/2012	06.11.2012	700/-	श्री वीरेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
2879 / 2012	06.11.2012	1000 / -	श्री नरीन्द्र कुमार बनाम नगर निगम, अम्बाला।

2524/2012	07.11.2012	500/-	श्री मान सिंह बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकूला।
3 610 / 2012	08.11.2012	1000 / -	श्री परदीप कुमार बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, मेवात।
464/2012 में	08.11.2012	2000/-	श्रीमती पिसता देवी बनाम उप-अधीक्षक, कार्यालय, संपदा
2110 / 2012			अधिकारी – ।, हुड्डा, सैक्टर – १४, गुड़गांव।
470 / 2012 में 1931 / 2012	08.11.2012	3 000 / -	श्री यशपाल बनाम संपदा अधिकारी, हुड्डा, रोहतक।
4141/2011	15.11.2012	1500 / -	श्री ओम प्रकाश बनाम सचिव, नगर परिषद, रिवाड़ी।
3 701 / 2012	19.11.2012	5000/-	श्रीमती रानी अरूणा बनाम उप सिविल सर्जन, कैथल।
2996/2012	19.11.2012	4000/-	श्रीमती नीलम मोहन बनाम जिला रेड करास समाज, अम्बाला।
कारण बताओ नेाटिस नं0 240 / 2012 में 3 148 / 2011	20.11.2012	3 000 / -	श्री दिलबाग सिंह रूपरिया बनाम क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिसार।
2571/2012	20.11.2012	4000/-	श्री कृष्ण कुमार बनाम तहसीलदार, बहादुरगढ़, जिला झज्जर।

3 873 /2012	20.11.2012	1000 / -	श्री दीन दयाल सोनी बनाम जिला समाजिक न्याय और अधिकारिता।
1163 /2012	21.11.2012	500/-	श्री कपिल देव बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3 973 /2012	21.11.2012	1000 / -	श्री एस. पी. शर्मा बनाम परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2531/2012	21.11.2012	1000/-	श्री अशोक कुमार बनाम वन विभाग, पंचकूला।
3 090 / 2012	21.11.2012	1000 / -	श्री मनोहर लाल बनाम आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पानीपत।
3 092 / 2012	21.11.2012	1000 / -	श्री मनोहर लाल बनाम आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पानीपत।
48/2012	23.11.2012	1000 / -	श्री अशोक कुमार बनाम वन विभाग, पंचकूला।
4830/2011	26.11.2012	2000/-	श्री जगजीत सिंह बनाम वन विभाग, पंचकूला।
2944/2012	26.11.2012	1000 / -	मै0 राम सिंह ओम प्रकाश बनाम खान एंव भूविज्ञान विभाग,
			हरियाणा, सैक्टर – 17, चण्डीगढ़।
2519/2012	26.11.2012	500/-	श्री सुरीन्द्र कुमार बनाम वन विभाग, पंचकूला।
3 899 / 2012	26.11.2012	2000/-	श्रीमती कृष्णी बनाम जिला समाजिक न्याय और अधिकारिता।
2879/2012	29.11.2012	1000 / -	श्री सुधी रंजन गर्ग बनाम संपदा अधिकारी, हुड्डा, रिवाड़ी।
	l .		l

2694/2012	3 0.11.2012	500/-	श्री मन सिंह बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकूला।
2720/2012	06.11.2012	1000 / -	श्री नरीन्द्र कुमार बनाम नगदर निगम, अम्बाला।
3 779 / 2012	03.11.2012	3 000 / -	श्री महेन्द्र सिंह बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला।
628 / 2012 में 4423 / 2011	04.12.2012	2000/-	श्री दिप्पा राम बनाम जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी।
शिकायत केस नं0 168/2012	05.12.2012	2000 / -	श्रीमती संतोष देवी बनाम जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग, पानीपत।
2578/2012	05.12.2012	1000 / -	श्री पन्ना लाल बनाम नगर निगम, महेन्द्रगढ़।
2580/2012	05.12.2012	2000/-	श्री खेम चंद बनाम नगर निगम, महेन्द्रगढ़।
2585/2012	05.12.2012	1000 / -	श्री खजान सिंह बनाम नगर निगम, महेन्द्रगढ़।
2733/2012	05.12.2012	1000 / -	श्री श्रवण कुमार बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, मंडी डबवाली, जिला सिरसा।
2731/2012	06.12.2012	1000 / -	श्री श्रवण कुमार बनाम खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, मंडी डबवाली, जिला सिरसा।

2536/2012	11.12.2012	500 / -	श्री नवल किशोर बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला।
19 व 20/2012 में	12.12.2012	2000/-	श्री राम किशन बनाम जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी,
3 41 / 2011			यमुनानगर।
429 / 2012 में	12.12.2012	2000/-	श्री बृहम दत्त बनाम उप-अधीक्षक, संपदा अधिकारी, हुड्डा,
1817 / 2012			सैक्टर – 12, फरीदाबाद।
2069/2012	12.12.2012	1000 / -	श्री धर्म पाल बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, असन्ध, करनाल।
3 153 /2012	13.12.2012	1000 / -	श्री भगवान दास अरोरा बनाम महिला एंव बाल विकास, हरियाणा,
			पंचकूला।
3 154 / 2012	13.12.2012	500/-	श्री सुरेन्द्र सिंह बनाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरियाणा,
			पंचकूला।
1584/2012	13.12.2012	1500 / -	श्रीमती गुरीन्द्र कौर बनाम नगर परिषद, थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र।
3 998 / 2012	14.12.2012	1500 / -	श्री फामीदा बनाम जिला समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग।
3 023 /2012	14.12.2012	1000 / -	श्री सतीश शर्मा बनाम प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी, अम्बाला।
2778 / 2012	18.12.2012	1000 / -	श्री संजय अरोरा बनाम नगर निगम, भिवानी।

1867/2012	20.12.2012	500/-	श्री महावीर सिंह धनकर बनाम कार्यकारी अभियंता, नगर निगम,
			रोहतक।
1576 / 2012	20.12.2012	1000 / -	श्री महाबीर सिंह धनकर बनाम नगर निगम, रोहतक।
3 129 / 2012	20.12.2012	1000 / -	श्रीमती जनक देवी बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सैक्टर - 14, पंचकूला।